

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-367

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन

*367. श्री अनंतकुमार हेगड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू की गई विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनसे कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;
- (ख) क्या देश में वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान दर्ज की गई वृद्धि दर कितनी है;
- (ग) क्या सरकारी और निजी क्षेत्रों में यह वृद्धि दर भिन्न है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या विद्युत की उत्पादन लागत कम हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 367 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, चालू की गई विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, उनसे उत्पादित विद्युत की मात्रा सहित अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) : देश में विद्युत उत्पादन, जो वर्ष 2015-16 (अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 तक) के दौरान 365,146.09 मिलियन यूनिट (एमयू) था, वह वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 से जुलाई, 2016 तक) के दौरान बढ़कर 391,163.27 मिलियन यूनिट हो गया है, इस प्रकार से 7.13% की वृद्धि दर्ज की गई।

(ग) : देश में वर्ष 2015-16 (अप्रैल, 2015 - जुलाई, 2015 तक) की तुलना में वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 से जुलाई, 2016 तक) के दौरान, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	2016-17 (अप्रैल से जुलाई)	2015-16 (अप्रैल से जुलाई)	% वृद्धि
सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र+राज्य)	265,293.66	255,237.2	3.94
निजी क्षेत्र	123,885.45	107,777.67	14.95

(घ) : विभिन्न उत्पादन स्टेशनों की विद्युत की लागत का निर्धारण समुचित आयोग द्वारा किया जाता है। एनटीपीसी लि. सहित केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की विद्युत की लागत का निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा किया जाता है।

एनटीपीसी लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 से जून, 2016 तक) के लिए इसके ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत यूटिलिटियों को भेजे गए बिलों के अनुसार विद्युत की लागत जो पिछले वर्ष अर्थात् 2015-16 (अप्रैल, 2015 से जून, 2015 तक) के दौरान 3.19 रूपए प्रति किलोवाट घंटा थी, वह घटकर चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 से जून, 2016 तक) के दौरान 3.04 रूपए प्रति किलोवाट घंटा हो गई है। यह मुख्यतः घरेलू कोयले के ढुलाई प्रभारों को युक्तिसंगत बनाए जाने तथा आयात कम किए जाने के कारण हुआ है।

"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 367 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान (जुलाई, 2016 तक) चालू की गई परियोजनाओं विद्युत केंद्र और उत्पादन का ब्यौरा						
विद्युत स्टेशन / यूनिट	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	राज्य	उत्पादन (एमयू)		
				2016-17 (जुलाई, 2016 तक)*	2015-16	2014-15
गोइंदवाल साहिब टीपीपी	1	270	पंजाब	30.18	36.98	-
गोइंदवाल साहिब टीपीपी	2	270	पंजाब	105.86	17.41	-
राजपुरा टीपीपी	2	700	पंजाब	1623.21	4102.92	2748.4
तलवंडी साबो टीपीपी	1	660	पंजाब	-	-	-
तलवंडी साबो टीपीपी	2	660	पंजाब	846.8	2296.89	1522.7
तलवंडी साबो टीपीपी	3	660	पंजाब	1126.66	944.91	-
छाबड़ा टीपीपी	4	250	राजस्थान	512.62	1478.16	409.12
कालीसिंध टीपीएस	1	600	राजस्थान	1296.2	3546.02	1209.12
कालीसिंध टीपीएस	2	600	राजस्थान	705.89	2436.74	-
रामगढ़ सीसीपीपी	6	50	राजस्थान	81.14	179.27	136.95
अनपरा टीपीएस	6	500	उत्तर प्रदेश	502.65	47.19	-
अनपरा टीपीएस	7	500	उत्तर प्रदेश	320.75	126.08	-
प्रयागराज टीपीपी	1	660	उत्तर प्रदेश	911.17	234.78	-
ललितपुर टीपीएस	1	660	उत्तर प्रदेश	649.38	27.76	-
ललितपुर टीपीएस	2	660	उत्तर प्रदेश	-	-	-
ललितपुर टीपीएस	3	660	उत्तर प्रदेश	4.59	-	-
धुवरन सीसीपीपी	5	376.1	गुजरात	-	10.62	11.62
सिक्का आरईपी. टीपीएस	3	250	गुजरात	182.27	699.13	3.07
सिक्का आरईपी. टीपीएस	4	250	गुजरात	386.08	140.06	-
भावनगर सीएफबीएस टीपीपी	1	250	गुजरात	-	-	-
डीजेन मेगा सीसीपीपी	2	400	गुजरात	-	750.06	-
श्री सिंघाजी टीपीपी	2	600	मध्य प्रदेश	-	2153.15	314.31
मारवा टीपीएस	2	500	छत्तीसगढ़	105.2	-	-
सासन यूएमटीपीपी	1	660	मध्य प्रदेश	1738	5210.81	4137.37
सासन यूएमटीपीपी	5	660	मध्य प्रदेश	1818.31	5321.77	1770.47
सासन यूएमटीपीपी	6	660	मध्य प्रदेश	1640.54	5274.46	190.91
सिवनी टीपीपी	1	600	मध्य प्रदेश	193.67	3.96	-
निगरी टीपीपी	1	660	मध्य प्रदेश	1275.88	2894.24	1688.79
निगरी टीपीपी	2	660	मध्य प्रदेश	1385.33	2451.94	69.39
अनूपपुर टीपीपी	1	600	मध्य प्रदेश	1144.82	2873.04	-
अनूपपुर टीपीपी	2	600	मध्य प्रदेश	126.07	17.68	-
विंध्याचल एसटीपीएस	13	500	मध्य प्रदेश	1307.86	1475.49	-
स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	1	25	छत्तीसगढ़	-	-	-
रायखेड़ा टीपीपी	1	685	छत्तीसगढ़	278.41	701.94	21.65
रायखेड़ा टीपीपी	2	685	छत्तीसगढ़	176.81	88.29	-
बाल्को टीपीएस	1	300	छत्तीसगढ़	535.52	1521.34	-
बाल्को टीपीएस	2	300	छत्तीसगढ़	545.07	59.63	-
सलोरा टीपीपी	1	135	छत्तीसगढ़	-	-	137.12
अकलतारा टीपीएस	4	600	छत्तीसगढ़	1349.85	2894.36	404.91
बड़ाधारा टीपीएस	2	600	छत्तीसगढ़	1026.04	92.52	1.65
तमनार टीपीपी	3	600	छत्तीसगढ़	478.68	66.36	-

तमनार टीपीपी	4	600	छत्तीसगढ़	-	-	5.88
बंदाखार टीपीपी	1	300	छत्तीसगढ़	127.83	216.22	-
यूसीएचपी इंडिया टीपीपी	1	360	छत्तीसगढ़	-	87.7	-
यूसीएचपी इंडिया टीपीपी	2	360	छत्तीसगढ़	-	35.34	-
मौदा टीपीएस	3	660	महाराष्ट्र	2.86	3.89	-
कोराडी टीपीएस	8	660	महाराष्ट्र	1053.66	1124.86	-
कोराडी टीपीएस	9	660	महाराष्ट्र	285.64	71.5	-
पार्ली टीपीएस	8	250	महाराष्ट्र	-	-	-
चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	8	500	महाराष्ट्र	217.52	196.55	-
चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	9	500	महाराष्ट्र	3.85	-	-
तिरोरा टीपीएस	5	660	महाराष्ट्र	766.72	4227.89	1741.94
अमरावती टीपीएस	3	270	महाराष्ट्र	266.16	1278.42	10.14
अमरावती टीपीएस	4	270	महाराष्ट्र	324.31	1183.68	28.03
अमरावती टीपीएस	5	270	महाराष्ट्र	175.25	633.4	17.62
धारीवाल टीपीपी	2	300	महाराष्ट्र	507.1	369.16	173.92
दामोदरम संजीवे	1	800	आंध्र प्रदेश	1117.75	2948.11	811.88
दामोदरम संजीवे	2	800	आंध्र प्रदेश	1664.27	2065.27	270.32
काकतीय टीपीएस	2	600	तेलंगाना	1026.68	427.48	-
सिंगरेनी टीपीपी	1	600	तेलंगाना	128.16	1.17	-
सिम्हापुरी टीपीएस	4	150	आंध्र प्रदेश	257.07	1132.08	-
विजाग टीपीपी	1	520	आंध्र प्रदेश	519.91	463.75	-
विजाग टीपीपी	2	520	आंध्र प्रदेश	339.87	0.96	-
पैनामपुरम टीपीपी	1	660	आंध्र प्रदेश	1791.74	4233.49	5.6
पैनामपुरम टीपीपी	2	660	आंध्र प्रदेश	1009	2655.54	-
कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी	1	371	आंध्र प्रदेश	451.55	497.28	-
कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी	2	371	आंध्र प्रदेश	171.27	118.27	-
जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	1	240	आंध्र प्रदेश	14.64	589.64	-
जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	2	144	आंध्र प्रदेश	8.73	-	-
जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	3	240	आंध्र प्रदेश	141.04	-	-
जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	4	144	आंध्र प्रदेश	83.31	-	-
बेल्लारी टीपीएस	3	700	कर्नाटक	83	24.57	-
येरमारुस टीपीपी	1	800	कर्नाटक	-	1.05	-
मुथियारा टीपीपी	1	600	तमिलनाडु	1007.89	2324.45	1092.69
मुथियारा टीपीपी	2	600	तमिलनाडु	477.57	464.31	-
नेवेली टीपीएस-II एक्स	2	250	तमिलनाडु	250.94	423.33	-
तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1	500	तमिलनाडु	1002.65	1904.33	6.79
तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	2	500	तमिलनाडु	939.95	1653.78	-
कुडनकुलम	1	1000	तमिलनाडु	2896.63	2261.26	2610.52
आईटीपीसीएल टीपीपी	1	600	तमिलनाडु	697.69	1131.38	-
आईटीपीसीएल टीपीपी	2	600	तमिलनाडु	512.84	-	-
मुजफ्फरपुर टीपीएस	3	195	बिहार	-	2.88	0.02
बाढ़ II	5	660	बिहार	1270.51	851.54	0.71
नबी नगर टीपीपी	1	250	बिहार	-	0.13	-
बोकारो टीपीएस 'ए' एक्स	1	500	झारखण्ड	-	0.3	-
रघुनाथपुर टीपीपी	1	600	पश्चिम बंगाल	546.6	148.56	12.27
रघुनाथपुर टीपीपी	2	600	पश्चिम बंगाल	-	108.98	-
डेरांग टीपीपी	1	600	ओडिशा	1140.67	3245.78	348.22
डेरांग टीपीपी	2	600	ओडिशा	1328.76	2997.82	167.23
इण्ड बराथ टीपीपी	1	350	ओडिशा	-	21.58	-
सागरदीघी टीपीएस	3	500	पश्चिम बंगाल	162.1	-	-
हल्दिया टीपीपी	1	300	पश्चिम बंगाल	704.1	2045.3	265.3
हल्दिया टीपीपी	2	300	पश्चिम बंगाल	720.03	1587.96	90.93
बोंगड़गाँव टीपीपी	1	250	असम	565.23	117.12	-

अगरतला जीटी	6	25.5	त्रिपुरा	49.94	131.38	5.7
त्रिपुरा सीसीपीपी	2	363.3	त्रिपुरा	630.4	1338.39	304.44
मोनारचक सीसीपीपी	1	65.4	त्रिपुरा	12.93	127.06	0.7
मोनारचक सीसीपीपी	2	35.6	त्रिपुरा	-	-	-
पार्वती-III एचपीएस	4	130	हिमाचल प्रदेश	196.85	269.85	31.2
रामपुर एचपीएस	3	68.67	हिमाचल प्रदेश	169.1	313.36	129.9
रामपुर एचपीएस	4	68.67	हिमाचल प्रदेश	169.19	325.13	211.19
रामपुर एचपीएस	6	68.67	हिमाचल प्रदेश	151.17	370.05	41.1
कोलडैम	1	200	हिमाचल प्रदेश	426.32	559.63	0.12
कोलडैम	2	200	हिमाचल प्रदेश	412.24	581.26	0.13
कोलडैम	3	200	हिमाचल प्रदेश	410.59	565.45	-
कोलडैम	4	200	हिमाचल प्रदेश	389.83	602.26	-
कशांग-I	1	65	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
बगलिहार II एचपीएस	1	150	जम्मू एवं कश्मीर	308.99	53.03	-
बगलिहार II एचपीएस	2	150	जम्मू एवं कश्मीर	349.03	2.57	-
बगलिहार II एचपीएस	3	150	जम्मू एवं कश्मीर	326.24	-	-
श्रीनगर एचपीएस	1	82.5	उत्तराखण्ड	148.65	245.64	-
श्रीनगर एचपीएस	2	82.5	उत्तराखण्ड	141	221.46	-
श्रीनगर एचपीएस	3	82.5	उत्तराखण्ड	131.79	239.88	-
श्रीनगर एचपीएस	4	82.5	उत्तराखण्ड	122.33	194.39	-
लोअर जुराला एचपीएस	1	40	तेलंगाना	22.65	8.98	-
लोअर जुराला एचपीएस	2	40	तेलंगाना	-	-	-
लोअर जुराला एचपीएस	3	40	तेलंगाना	-	-	-
लोअर जुराला एचपीएस	4	40	तेलंगाना	-	-	-
तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस	1	40	पश्चिम बंगाल	94.18	17.6	-
तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस	2	40	पश्चिम बंगाल	84.42	1.17	-
तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस	3	40	पश्चिम बंगाल	16.47	-	-
जोरथांग लूप	1	48	सिक्किम	62.64	36.21	-
जोरथांग लूप	2	48	सिक्किम	71.16	38.85	-
* वास्तविक-सह-आकलन आधार पर अनंतिम						
टिप्पणी: पारंपरिक स्रोतों (ताप विद्युत, जल विद्युत एवं नाभिकीय विद्युत) से स्टेशनों से केवल 25 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता वाले उत्पादन						

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-4142

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड को वित्तीय सहायता

4142. श्री नन्दी एल्लैया:

डॉ. रविन्द्र बाबू:

श्री ई. अहमद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लि. (टीएएनजीईडीसीओ) को रेटिंग एजेंसियों द्वारा आपके मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रूपरेखा के अनुसार "ग" ग्रेड पर रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) राज्य उत्पादन और वितरण निगमों को विद्युत मीटर और अन्य विद्युत उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं;
- (ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पीएफसी और आरईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता की तुलना में तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लि. (टीएएनजीईडीसीओ) द्वारा खरीदे गए विद्युत मीटरों और अन्य उपकरणों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या विद्युत क्षेत्र की अनेक लघु उद्योगों की इकाइयों (एसएसआई) से विद्युत मीटरों की आपूर्ति के संबंध में टीएएनजीईडीसीओ द्वारा देय राशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी लघु इकाइयों के नाम क्या हैं जिनका राशि भुगतान टीएएनजीईडीसीओ द्वारा रोक दिया गया है और इनमें से प्रत्येक की कितनी राशि देय है; और
- (ङ) क्या विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) का विचार टीएएनजीईडीसीओ को विद्युत मीटरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता/वित्तपोषण रोकने का है जब तक कि सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा प्रकाशित "राज्य वितरण यूटिलिटी की चौथी वार्षिक एकीकृत रेटिंग" के अनुसार टेनजेडको को 'बी' रेटिंग से डाउनग्रेड करने 'सी+' रेटिंग की गई। टेनजेडको

को दी गई 'सी+' रेटिंग के लिए मुख्य कारणों में शामिल हैं:-

- (i) दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार 65,000 करोड़ रु. से अधिक संचयित हानियों का बहुत ही उच्च स्तर।
- (ii) एटी एंड सी हानियों की स्थिति खराब होना और निम्न बिलिंग दक्षता।
- (iii) उच्च विद्युत क्रय लागत।
- (iv) वर्ष पश्चात वर्ष हानियों के निरंतर उच्चतर स्तर के कारण खराब लागत कवरेज अनुपात।
- (iv) विगत तीन वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2015, वित्तीय वर्ष 2016 एवं वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान प्रशुल्क याचिका दायर नहीं की गई और वित्तीय वर्ष 2016 / वित्तीय वर्ष 2017 के लिए कोई प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया।

(ख) और (ग) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) लिमिटेड ने वितरण स्कीमें संस्वीकृत की हैं जो मिश्रित स्वरूप की है और ऊर्जा मीटरों और अन्य वैद्युत उपकरणों के प्रापण सहित सभी अवसंरचनात्मक कार्य शामिल हैं। पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान टेनजेडको को संस्वीकृतियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	संस्वीकृत	
	पीएफसी	आरईसी
2013-14	2,843 करोड़ रुपये	1369.88 करोड़ रुपये
2014-15	3,167 करोड़ रुपये	1145.58 करोड़ रुपये
2015-16	3,669 करोड़ रुपये	1213.67 करोड़ रुपये

(घ) : मैसर्स टेनजेडको द्वारा एसएसआई यूनिटों को बकाया का भुगतान न करने के संबंध में श्री सलीम अंसारी, माननीय पूर्व संसद सदस्य ने मैसर्स कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड, नोएडा को अभ्यावेदन भेजा है और श्री रामसिन राठवा, माननीय संसद सदस्य का एक पत्र प्राप्त हुआ है। श्री रामसिन राठवा, माननीय संसद सदस्य से प्राप्त अनुसार प्रत्येक यूनिट के लिए देय बकाया सहित एसएसआई यूनिटों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	एसएसआई का नाम	कुल राशि
1.	मैसर्स एवन मीटर्स प्राइवेट लि., डेराबस्सी	6.44 करोड़
2.	मैसर्स कैपिटल पावर सिस्टम लि., नोएडा	9.50 करोड़
3.	मैसर्स जेनस इनोवेशन लि., जयपुर	2.68 करोड़
4.	मैसर्स लैण्डीस+जीआईआर लि., कोलकाता	75.00 लाख
5.	मैसर्स एचपीएल इलैक्ट्रिक एवं पावर प्राइवेट लि., गुडगांव	3.51 करोड़
6.	मैसर्स सेक्यूर मीटर्स लि., उदयपुर	18.00 करोड़

(ड.) : ऊर्जा मीटर की आपूर्ति संविदाकार आपूर्तिकर्ताओं और टेनजेडको के बीच संविदागत बाध्यताओं के अनुसार है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन की किन्हीं पक्षों के बीच किसी संविदात्मक मामले में कोई भूमिका नहीं होती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4150

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

4150. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकारी क्षेत्र की अनेक विद्युत उत्पादन इकाइयां समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं जिसके कारण देश में विद्युत की कमी हो रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या राज्य सरकारों ने गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी समस्त विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) से (ङ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस-रहित क्रियाकलाप है और कोई भी राज्य, अथवा राज्य द्वारा स्थापित उत्पादन कंपनी व्यवहार्यता, गैस की उपलब्धता इत्यादि जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित कर सकती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4168

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत का उपभोग

4168. श्री रामसिंह राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विश्व के विकसित देशों की तुलना में देश में वार्षिक तौर पर विद्युत/बिजली का कुल कितना उपभोग किया जाता है;
- (ख) सरकार द्वारा देश की विद्युत/बिजली सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार का विचार देश की संपूर्ण जनसंख्या को न्यूनतम बिजली प्रदान करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की वेबसाइट पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के विकसित देशों के साथ-साथ देश में वर्ष 2012-13 के लिए उपयोग की गई विद्युत/बिजली की कुल मात्रा अनुबंध में दी गई है।

(ख) से (घ) : सरकार विभिन्न ईंधन संसाधनों का मिश्रित रूप से उपयोग करके विद्युत उत्पादन के माध्यम से देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा इन विद्युत संयंत्रों से विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने में राज्यों को सहायता हेतु उठाए गए कदम/उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान, दिनांक 30 जून, 2016 तक परंपरागत स्रोतों से लगभग 86,565 मेगावाट और नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 19,500 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयला आपूर्ति की वृद्धि 2015-16 के दौरान लगभग 6.2% रही है। 03.08.2016 तक की स्थिति के अनुसार, विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 30.3 मिलियन टन (एमटी) है, जोकि 21 दिनों के नियामक स्टॉक की तुलना में विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के 22 दिनों के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में, नाजुक कोयला स्टॉक वाला कोई स्टेशन नहीं है।
- (iii) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान, 89,813 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें और 2,66,033 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता 30 जून, 2016 तक पूरी कर ली गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की भागीदारी से सभी के लिए चौबीसों घंटे (24x7) विद्युत (पीएफए) उपलब्ध करवाने के लिए राज्य विशेष कार्य योजना तैयार करने के लिए पहल शुरू की है।
- (v) भारत सरकार द्वारा उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढीकरण और पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडर्स के पृथक्करण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नाम की दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्नअराउण्ड के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंडिड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता मुहैया कराते हुए एक स्कीम शुरू की है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4168 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विश्व के विकसित देशों के साथ-साथ देश में वर्ष 2012-13 के लिए उपभोग की गई विद्युत/बिजली की कुल मात्रा

क्र.सं.	देश का नाम	2012-13
		कुल खपत (जीडब्ल्यूएच)
1	आस्ट्रेलिया	206024
2	कनाडा	485191
3	फ्रांस	440710
4	जर्मनी	518089
5	इटली	287398
6	जापान	950256
7	कोरिया	487125
8	यूनाइटेड किंगडम	317301
9	संयुक्त राज्य	3782151
10	दक्षिण अफ्रीका	196066
11	ब्राजील	487381
12	चीन जनवादी गणराज्य	4499666
13	रूस संघ	744091
14	भारत	824301

भारत को छोड़कर विकसित देशों के आंकड़े आईईए की वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4169

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान

4169. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अलपुज्जा में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के कार्यकरण को शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस संस्थान में कोर्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार का विचार नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ विद्युत क्षेत्र की विद्यमान अवसंरचना का नवीकरण तथा उन्नयन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : सरकार ने 11 दिसम्बर, 2013 को तीन वर्षों की पूर्णता अनुसूची के साथ अलपुज्जा, केरल में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) स्थापित करने के लिए एक नए संस्थान को मंजूरी दी है। इस संस्थान के लिए अनुमोदित परिव्यय 56.35 करोड़ रूपए है। एनपीटीआई ने केरल सरकार से 15 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को सभी अवसंरचनात्मक कार्यों हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड को सिम्यूलटर कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संस्थान की स्थापना के लिए अब तक कुल 6.39 करोड़ रूपए राशि जारी की जा चुकी है।

(ङ) : तकनीकी आधुनिकताओं पर निर्भर रहते हुए नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकी के साथ समय-समय पर मौजूदा अवसंरचना का नवीकरण एवं उन्नयन किया जाता है। सरकार ने एनपीटीआई के नौ संस्थानों की प्रशिक्षण अवसंरचना के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा संवर्धन के लिए 73.97 करोड़ रूपए के परिव्यय से 12 दिसम्बर, 2013 को एक नई परियोजना को मंजूरी दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4183

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

ईंधन रहित मशीन/उपकरण

4183. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इससे अवगत है कि विभिन्न ईंधन रहित (ऊर्जा बचत वाली) मशीनों/उपकरणों जिनकी दक्षता संबंधी स्वीकृति 76 प्रतिशत है, को व्यक्तिगत प्रवर्तकों द्वारा विकसित किया गया है और उक्त मशीनों जिनका परीक्षण केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (आईसीएआर), आईआईटी और अन्य संस्थानों द्वारा किया गया, को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार विशेषकर लघु जल विद्युत योजनाओं के अंतर्गत बिजली के उत्पादन हेतु विभिन्न योजनाओं हेतु निधि/अनुदान प्रदान कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो ऐसे प्रवर्तकों जिनकी अनुमोदित क्षमता 76 प्रतिशत है, को निधि/सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। ईंधन रहित (ऊर्जा बचत वाली) मशीनों/उपकरणों से संबंधित कुछ आविष्कार निम्नानुसार हैं:

- (i) आईआईटी बॉम्बे ने ऊर्जा बचत वाला उपकरण, सुपर हीट रिकवरी वाटर हीटर विकसित किया है तथा इसका पेटेंट करवाया है। यह उपकरण बिना कोई अतिरिक्त विद्युत खपत किए हीट रिकवरी के लिए, मौजूदा अथवा नए रेफ्रिजरेटर अथवा वातानुकूलन प्रणाली (आरएण्डएसी प्रणाली) से जोड़ा जा सकता है।
- (ii) आईआईटी दिल्ली ने (क) स्कू पंप, चारा काटने की मशीन, आटा चक्की, धान श्रेषर चलाने, छिड़काव करने तथा बैटरी चार्ज करने के लिए भारवाहक पशु-शक्ति के दोहन (ख) बैल चालित ट्रेक्टर (बीडीटी) (ग) सिंचाई हेतु पैडल चालित ट्रेडल-पंप (घ) ग्रामीण कार्यों में प्रयोग के लिए अल्ट्रा-माइक्रो (पीको) जल विद्युत पैकेज (ङ) बायो-गैस के उपयोग की मशीनें/प्रौद्योगिकियां विकसित की है।
- (iii) "फ्यूल स्टार-फ्यूल सेवर" दहन कैटेलिस्ट को खरीदा गया और आईसीएआर - केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में जांच की गई। उपकरण से 15% डीजल बचत होने का दावा किया गया था। प्रयोगशाला-परिस्थितियों में, ट्रेक्टर इंजिन पर कैटेलिस्ट की जांच के दौरान ईंधन में किसी प्रकार की बचत नहीं पाई गई।

(ग) और (घ) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पवन, सौर, जैव-ऊर्जा तथा लघु जल विद्युत स्कीमों के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान कर रहा है।

ईंधन रहित (ऊर्जा बचत वाली) मशीनों/उपकरणों के प्रवर्तकों को निधि/सहायता प्रदान करने की कोई विनिर्दिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि, विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान देने की एक स्कीम है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4194

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत मुद्दों पर परामर्शदात्री समिति

4194. श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के विषय में चर्चा और उनके सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए कोई परामर्श समिति स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशों सरकार को सौंप दी है, यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और
- (ग) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए वर्ष 2014 में श्री सुरेश प्रभु (अब केंद्रीय रेल मंत्री) की अध्यक्षता में "विद्युत, कोयले एवं नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकृत विकास संबंधी सलाहकार समूह" का गठन किया गया। सलाहकार समूह ने दिनांक 22 दिसंबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सलाहकार समूह की रिपोर्ट में विद्युत, कोयला एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों से संबंधित समकालीन मुद्दे एवं चुनौतियां शामिल हैं। सलाहकार समूह की मुख्य सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कोयला उत्पादन का संवर्द्धन; कोयला क्षेत्र खोलना; कोयला ब्लॉक नीलामी; कोयला लिंकेज युक्तिसंगत बनाना; कोयला लिंकेज की स्वैपिंग; विद्युत अधिनियम, प्रशुल्क नीति, मानक बोली दस्तावेजों में संशोधन; 24X7 विद्युत आपूर्ति; वितरण क्षेत्र सुधार; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की कार्य प्रणाली में सुधार; जल विद्युत परियोजनाओं को गति प्रदान करना; पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन (पोसोको) की भूमिका; पुराने एवं अदक्ष ताप विद्युत संयंत्रों को हटाना; नवीकरणीय ऊर्जा की बड़े पैमाने पर क्षमता अभिवृद्धि; हरित ऊर्जा पारेषण गलियारे; नवीकरणीय क्षमता अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करना; नवीकरणीय विद्युत उत्पादन की स्थापना करने का दायित्व के लिए उत्पादन कंपनियों को वचनबद्ध करना; वितरण यूटिलिटियों द्वारा नवीकरणीय विद्युत के क्रय को वरीयता देना इत्यादि शामिल हैं।

(ग): सलाहकार समूह द्वारा की गई सिफारिशों में विभिन्न अल्पकालिक, मध्यमकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय

शामिल हैं। सलाहकार समूह की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ,

कोयला :

- कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी;
- कोल इंडिया द्वारा सभी विद्युत संयंत्रों को 100% क्रशड कोयले की आपूर्ति;
- नई वाशरीज की स्थापना;
- कोयले की तृतीय पक्ष सैंपलिंग को प्रारंभ करना;
- तीन प्रमुख क्रिटिकल रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पृथक एसपीवी समाविष्ट करना;
- 2000 रेल वैगनों की खरीद के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा रेल मंत्रालय के बीच समझौता-जापन हस्ताक्षरित;
- 17 ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाना;
- घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन से संबंधित दिशा-निर्देश;

विद्युत :

उत्पादन

- सीईए ने सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के लिए 57 विद्युत संयंत्र चिह्नित किए हैं जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं;
- सीईए द्वारा पुराने और अदक्ष ताप विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए सूचना का संग्रह;
- सभी के लिए 24X7 विद्युत के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना;

पारेषण

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वतंत्र सरकारी कंपनी के रूप में पोसोको के गठन को अनुमोदित किया;
- पारेषण के लिए 20 वर्ष की तैयार भावी योजना;

वितरण

- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के कार्यान्वयन द्वारा वितरण क्षेत्र में व्यापक सुधार की शुरुआत;

सुधार एवं ऊर्जा दक्षता

- विद्युत अधिनियम में तैयार किए गए संशोधन;
- अधिसूचित प्रशुल्क नीति;
- मानक बोली दस्तावेजों में संशोधन;
- अप्रैल, 2016 से निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) चक्र-II प्रारंभ;
- मांग पक्ष प्रबंधन के अंतर्गत घरेलू एलईडी एवं एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरुआत;

नवीकरणीय ऊर्जा :

- हरित ऊर्जा गलियारे का कार्यान्वयन;
- नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता 1096 जीडब्ल्यू के लिए पुनः आकलित की गई तथा वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य बढ़ाकर 175 जीडब्ल्यू किया गया;
- मार्च, 2020 तक, सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) को बढ़ाकर 8% या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्तर तक करना;
- नए कोयले/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए नवीकरणीय उत्पादन दायित्व (आरजीओ) की शुरुआत करना;
- नवीकरणीय विद्युत की बंडलिंग के माध्यम से सस्ती नवीकरणीय विद्युत सुनिश्चित करना;
- सौर और पवन ऊर्जा के लिए कोई अंतर-राज्य पारेषण प्रभार एवं हानियां नहीं;
- पवन ऊर्जा के लिए त्वरित मूल्यहास (एडी) लाभ पुनः लागू करना;
- पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पुनः शक्ति प्रदान करने की नीति।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4206

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्र के लिए वित्तीय सहायता

4206. श्री पी.आर. सुन्दरमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में ताप विद्युत स्टेशनों के लिए वित्तीय और संभार तंत्र सहायता में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं;
- (ख) क्या ताप विद्युत स्टेशनों में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले और अन्य कच्ची सामग्री तथा मशीनरी के मूल्यों में भारी वृद्धि बेकाबू हो गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में ताप विद्युत स्टेशनों के लिए वित्तीय और संभार तंत्र सहायता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) सरकार ने, विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति के प्रस्ताव को दिनांक 04.05.2016 को, अनुमोदित किया। स्कीम के अंतर्गत, ईंधन आपूर्ति करार के अनुसार प्रत्येक पृथक कोयला लिंकेज की वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को पृथक उत्पादन स्टेशन की बजाए प्रत्येक राज्य और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के स्वामित्व वाली कंपनी के लिए समेकित एसीक्यू के रूप में संकलित किया जाना है। राज्य/केंद्रीय जेनको के पास सस्ती विद्युत के उत्पादन के लिए, अपने स्वयं के विद्युत संयंत्रों में अधिकतम दक्षता और लागत प्रभावी ढंग से अपने कोयले का उपयोग करने तथा साथ ही साथ,

अन्य राज्य/केंद्रीय जेनको विद्युत संयंत्रों को कोयला हस्तांतरित करने के लिए लचीलेपन का विकल्प रहेगा।

- (ii) सरकार ने, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिन्हें कोयला खानों अथवा ब्लकों का आबंटन किया गया है, के विनिर्दिष्ट वास्तविक प्रयोगकर्ता संयंत्रों को ब्रिज लिंकेज प्रदान करने के नीतिगत दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में ब्रिज लिंकेज आवेदन-पत्रों को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।
- (iii) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.09.2014 के आदेश द्वारा कोयला ब्लकों को रद्द किए जाने के बाद, कुल 9,940 मेगावाट वाले वास्तविक प्रयोगकर्ता विद्युत संयंत्रों से संबद्ध नौ कोयला खानें ई-नीलामी के माध्यम से सफल रहे बोलीदाताओं को आवंटित की गई हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुल 40,090 मेगावाट की क्षमता वाले संबद्ध वास्तविक प्रयोगकर्ता विद्युत संयंत्रों के लिए भी अड़तीस कोयला खानें केंद्रीय/राज्य क्षेत्र यूटिलिटियों को ई-आबंटन के द्वारा आवंटित की गई हैं।
- (iv) राज्य और केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों के संबंध में, पुराने संयंत्रों को हटाते और सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी वाले नए संयंत्रों से बदलते समय उन्हें, प्रदत्त कोयला लिंकेज/आश्वासन पत्र (एलओए) के स्वयंमेव हस्तांतरण की नीति जारी की गई है।
- (v) इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्ट्रैंडिड विद्युत संयंत्रों तथा ई-रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों को स्पॉट पुनः गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) (ई-बोली आरएलएनजी) की आपूर्ति द्वारा देश में स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता, जो देश में प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में कमी के कारण बेकार पड़ी है या उसका कम उपयोग होता, के उपयोग को पुनः प्रारंभ करने और सुधारने की स्कीम को भी अनुमोदन प्रदान किया है। स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित अन्य छूटों में- आयातित एलएनजी पर सीमा शुल्क का अधित्याग; मूल्य वर्धित कर का अधित्याग, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रविष्टि कर का अधित्याग; पुनःगैसीकरण और परिवहन सेवा कर का अधित्याग; पाइपलाइन प्रशुल्क प्रभारों, पुनःगैसीकरण प्रभार तथा बाजार सीमा में कमी; स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रभारों एवं हानियों से छूट तथा आवश्यकता होने पर, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ), भारत सरकार से सहायता शामिल है।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4214

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

पर्यावरण स्वीकृति के कारण लंबित परियोजनाएं

4214. श्री बदरुद्दीन अज़मल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिए जाने, दिए जाने में विलंब के कारण कई विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं/जूझ रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो आज तक उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा लंबित विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित राज्य सरकारों को आरएपीडीआरपी के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पर्यावरण स्वीकृति देने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 05.08.2016 की स्थिति के अनुसार, पर्यावरण स्वीकृति के लिए लंबित पन्द्रह जल विद्युत परियोजनाएं तथा दस ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-1 एवं ॥ के अनुसार हैं।

(ग) : पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत नदी घाटी परियोजनाओं सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) अनिवार्य है। पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तावों का मूल्यांकन ईआईए अधिसूचना, 2006 और इसके अंतर्गत संशोधनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर समयबद्ध तरीके से किया जाता है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर ईआईए अधिसूचना के अंतर्गत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। इन परियोजनाओं को परियोजना प्रस्तावक तथा अन्य पणधारकों से सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर निर्धारित समय के भीतर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित राज्यों को विद्युत मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर, 2014 को शुरू की गई पुनर्गठित विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) में समाहित पुनर्गठित विद्युत विकास एवं सुधार स्कीम (आर-एपीडीआरपी) तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) नॉन लेप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सज (एनएलसीपीआर) के अंतर्गत एनईआर में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान कर रहा है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4214 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आज की तारीख (अर्थात् 05.08.2016) के अनुसार पर्यावरणात्मक स्वीकृति (ईसी) के विचाराधीन नदी घाटी एवं जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य वार ब्यौरा

जल विद्युत परियोजनाएं

अरुणाचल प्रदेश

क्र.सं.	जल विद्युत परियोजना विवरण	क्षमता/नदी
(क)	सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना	शून्य
(ख)	निजी परियोजनाएं	
1	परियोजना का नाम: नाइंग एचईपी (1000 मेगावाट) परियोजना जिला: पश्चिम सियांग राज्य: अरुणाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स नाइंग डीएससी पावर लिमिटेड	1000 मेगावाट नदी सियोम
2	परियोजना का नाम: तालोंग लोंदा एचईपी परियोजना (225 मेगावाट) जिला: पूर्व कामेंग राज्य: अरुणाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स जीएमआर लोंदा हाइड्रोपावर प्राइवेट लिमिटेड	225 मेगावाट कामेंग नदी
3	परियोजना का नाम: पेमाशेल्पु एचईपी परियोजना(80 मेगावाट) जिला: पश्चिम सियांग राज्य: अरुणाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स मेचुका हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	80 मेगावाट सियांग नदी
4	परियोजना का नाम: कलई-II एचईपी परियोजना(1200 मेगावाट) जिला: अंजाव राज्य: अरुणाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स कलई पावर प्राइवेट लिमिटेड	1200 मेगावाट
5	परियोजना का नाम: इटैलिन एचईपी परियोजना(3097 मेगावाट) जिला: दिबांग राज्य: अरुणाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स जिंदल पावर लिमिटेड	3097 मेगावाट द्री एवं टेंगा नदी
6	परियोजना का नाम: मागो छू एचईपी (96 मेगावाट) परियोजना जिला: तवांग राज्य: अरुणाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स स्यू मागो छू पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	
7	परियोजना का नाम: न्यूकचारोंग छू एचईपी (96 मेगावाट) परियोजना जिला: तवांग राज्य: अरुणाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स न्यू स्यू न्यूकचारोंग छू पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	96 मेगावाट तवांग नदी
8	परियोजना का नाम: न्यू मेलिंग एचईपी (90 मेगावाट) परियोजना जिला: तवांग राज्य: अरुणाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स स्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	90 मेगावाट
9	परियोजना का नाम: टागुरशिट एचईपी (74 मेगावाट) परियोजना जिला: पश्चिम सियांग राज्य: अरुणाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स एल एण्ड टी अरुणाचल हाइड्रो पावर लिमिटेड	74 मेगावाट

हिमाचल प्रदेश

क्र.सं.	जल विद्युत परियोजना विवरण	क्षमता/नदी
(क) सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाएं		शून्य
10	परियोजना का नाम: छत्रु एचईपी परियोजना(120 मेगावाट) जिला: लाहौल एवं स्पीति राज्य: हिमाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स डीसीएम श्री राम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	120 मेगावाट चंद्रा नदी
11	परियोजना का नाम: सच खास एचईपी (260 मेगावाट) परियोजना जिला: चंबा राज्य: हिमाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स एलएण्डटी हिमाचल हाइड्रोपावर लिमिटेड	260 मेगावाट चेनाब नदी
12	परियोजना का नाम: रूपिन एचईपी (45 मेगावाट) परियोजना जिला: लाहौल एवं स्पीति राज्य: हिमाचल प्रदेश कंपनी: मैसर्स एसबी पावर प्राइवेट लिमिटेड	45 मेगावाट चेनाब नदी

उत्तराखण्ड

क्र.सं.	जल विद्युत परियोजना विवरण	क्षमता/नदी
(क) निजी क्षेत्र परियोजनाएं		शून्य
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाएं		
13	परियोजना का नाम: झेलम तमक एचईपी (108 मेगावाट) परियोजना जिला : चमोली राज्य: उत्तराखण्ड कंपनी: मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	108 मेगावाट धौलीगंगा नदी
14	परियोजना का नाम: नंद प्रयाग लंगासू एचईपी (100 मेगावाट) परियोजना जिला : चमोली राज्य: उत्तराखण्ड कंपनी: मैसर्स यूजेवीएन लिमिटेड	100 मेगावाट अलकनंदा

पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	जल विद्युत परियोजना विवरण	क्षमता/नदी
(क) निजी क्षेत्र परियोजनाएं		शून्य
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाएं		
15	तुर्गा पम्पड स्टोरेज परियोजना जिला: पुरुलिया राज्य: पश्चिम बंगाल कंपनी: मैसर्स वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	1000 मेगावाट

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4214 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

05.08.2016 की स्थिति के अनुसार पर्यावरणात्मक स्वीकृति के लिए विचाराधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का राज्य वार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना विवरण
आंध्र प्रदेश	
1.	सं.जे-13012/112/2010-ए.॥ (टी) नाम: 4x1000 मेगावाट पुडीमडका सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाँव ललमकोडुरु, रम्बिल्ली, वेडुरुवड्डा एवं पुडीमडका, जिला विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश कंपनी: मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड
गुजरात	
2.	सं.जे-13012/10/2012-ए. ॥ (टी) नाम: 2000 मेगावाट गैस आधारित कंबाइंड साइकल पावर प्लांट (सीसीपीपी), गाँव गोधरा, कच्छ जिला, गुजरात कंपनी: मैसर्स नाना लायजा पावर कंपनी लिमिटेड
मध्य प्रदेश	
3.	सं.जे-13012/59/2010-ए. ॥ (टी) नाम: 4x660 मेगावाट, चरण-I, बरेठी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाँव बरेठी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश कंपनी: मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड
ओडिशा	
4.	सं. जे-13012/4/2009-ए.॥ (टी) 4000 मेगावाट (6x660 मेगावाट) कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी), गाँव भेड़ाबहल, तहसील सुंदरगढ़, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा कंपनी: मैसर्स ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
राजस्थान	
5.	सं. जे-13012/01/2015-ए.॥(टी) नाम: गाँव भद्रेश, तहसील एवं जिला बाड़मेर, राजस्थान में 1x660 मेगावाट लिग्नाइट आधारित सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जोड़कर 1,080 मेगावाट का विस्तार कंपनी: मैसर्स राज वेस्ट पावर लिमिटेड
तेलंगाना	
6.	सं.जे-13012/18/2015-ए.॥ (टी) नाम: 5x800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन, गाँव विरलापलेम, जिला नालगोंडा, तेलंगाना कंपनी: मैसर्स तेलंगाना स्टेट पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (टीएसजेनको)
7.	सं. सीईआईएए/एपी/एनएलजी/2012-3587 नाम: 200 मेगावाट (1x135 मेगावाट एवं 1x65 मेगावाट) कोयला आधारित सीएफबीसी तकनीकी आधारित थर्मल पावर प्लांट, गाँव पेडावीडु, महामपली मंडल, जिला नालगोंडा, तेलंगाना कंपनी: एमजी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
8.	सं. जे-13012/02/2015-ए. ॥ (टी) नाम: गाँव रामानुजवरम, एड्डुलबय्यारम एवं सीतारामपुरम, मंडल मनुगुरु एवं पीनापका जिला खम्माम, तेलंगाना में 1080 (4x270) मेगावाट का मनुगुरु थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंपनी: मैसर्स तेलंगाना स्टेट पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (टीएसजेनको)
उत्तर प्रदेश	
9.	सं. जे-13012/35/2013-ए. ॥(टी) नाम: 1x660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल पनकी एक्सटेंशन पावर प्रोजेक्ट, पनकी, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश कंपनी: मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
10.	सं. जे-13012/17/2015-ए-॥ (टी) नाम: गाँव मलवान के समीप, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में 2x660 मेगावाट की कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कंपनी: मैसर्स जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जेवीयूएनएल)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4242

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत के कारण होने वाली मौतें

4242. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विद्युत के कारण होने वाली मानव/जानवरों की मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का कोई प्रावधान है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राजस्थान और अन्य भागों में इन पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार की गई कार्रवाई सहित गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मामले दर्ज हुए;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार को एफआईआर दर्ज नहीं करने की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं। विद्युत अधिनियम, 2003 में एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161(1) में यह व्यवस्था की गई है कि बिजली की लाइनों के किसी भाग या किसी व्यक्ति के वैद्युत संयंत्र के संबंध में या विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति या विद्युत के उपयोग के संबंध में होने वाली दुर्घटना और दुर्घटना से किसी मानव या पशु को हुई किसी संभावित क्षति या मानव अथवा पशु को कोई चोट लगी हो, तो इस प्रकार की दुर्घटना की सूचना समुचित सरकार द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रारूप में वैद्युत निरीक्षक या समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

धारा 161(2) में यह व्यवस्था की गई है कि समुचित सरकार, यदि वह ठीक समझे, किसी वैद्युत निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से निम्नलिखित के बारे में जांच करने एवं रिपोर्ट करने की अपेक्षा कर सकती है:

- (क): जन सामान्य को प्रभावित करने वाली किसी दुर्घटना के कारण जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति एवं उपयोग द्वारा अथवा उसके संबंध में हो, या
- (ख): इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों या किसी लाइसेंस के प्रावधानों, जहाँ तक कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति की सुरक्षा को प्रभावित करते हों, का अनुपालन किस रीति से तथा किस सीमा तक किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने दुर्घटना की सूचना (नोटिस दिये जाने का प्रारूप एवं समय) नियम, 2005, अधिसूचित किया है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत संस्थापनाओं में विद्युत संबंधी दुर्घटना की सूचना दुर्घटना होने के 24 घंटे के भीतर वैद्युत निरीक्षक को दूर-संचार से दी जाएगी और निर्धारित प्रारूप में लिखित रिपोर्ट दुर्घटना होने के 48 घंटे के भीतर वैद्युत निरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) से (घ) : इस संबंध में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4254

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण

4254. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या स्थानीय किसानों की भूमि को इन विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु अधिग्रहित किया गया था;
- (ग) क्या इन विद्युत संयंत्रों में उनके परिवार के कुछ सदस्यों को स्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था; और
- (घ) यदि हां, तो अभी तक स्थानीय किसानों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी दिए जाने का संयंत्र-वार, विशेषकर मौदा विद्युत संयंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : इस समय, एनटीपीसी लिमिटेड का महाराष्ट्र में केवल एक ही प्रचालनरत विद्युत संयंत्र नामतः "मौदा सुपर ताप विद्युत स्टेशन" है जिसकी क्षमता 1660 मेगावाट है।

(ख) : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा स्थानीय किसानों से भूमि अधिगृहीत की गई थी।

(ग) : जी, नहीं। मौदा परियोजना में पुनर्वास कार्य राज्य पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुरूप किया जाता है।

(घ) : उपर्युक्त (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4278

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत तक पहुंच

4278. श्री प्रताप सिन्हा:
श्रीमती कोथापल्ली गीता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश में 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध नहीं है, अत्यधिक बिजली गुल होती है और प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग विश्व औसत की तुलना में काफी कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान 2016-17 की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार देश को 1.1 प्रतिशत विद्युत आधिक्य मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या जो लोग ग्रिड से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में विद्युत प्राप्त हैं केवल उन्हें ही विद्युत मांग की गणना करते समय विचारार्थ लिया गया है और यह विद्युत आधिक्य का कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
- (घ) क्या राज्य विद्युत कंपनियां उनके खराब वित्तीय स्वास्थ्य के कारण विद्युत खरीदने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और
- (ङ) क्या सरकार का विचार आने वाले दिनों में एक सशक्त विद्युत का मूल्य निर्धारण तंत्र का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के कुल 24,67,40,228 घरों में से 16,59,35,192 घर प्रकाश व्यवस्था के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग कर रहे हैं।

भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वैश्विक औसत से कम है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत और वैश्विक औसत नीचे दिया गया है :

वर्ष	भारत की प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)	वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)*
2011-12	884	2,972
2012-13	914	3,026

* आईईए वेबसाइट से प्राप्त आधारभूत आंकड़े, भारत के सिवाय। वैश्विक औसत के आंकड़े जनवरी से दिसंबर तक के हैं।

(ख): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2016-17 की लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (एलजीबीआर) के अनुसार, वर्ष के दौरान देश में ऊर्जा उपलब्धता ऊर्जा मांग से लगभग 1.1% तक अधिक होने की संभावना है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

ऊर्जा				व्यस्ततम			
आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष (+)/ कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष (+)/ कमी (-)	
(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
1,214,642	1,227,895	13,252	1.1	165,253	169,503	4,250	2.6

(ग) : जी, नहीं। उन परिवारों, जो विद्युत ग्रिड से जुड़े हुए नहीं हैं तथा जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वर्ष के दौरान विद्युत ग्रिड से जोड़े जाने की योजना है, पर आगामी वर्ष हेतु ऊर्जा मांग का अनुमान लगाने के लिए, राज्य यूटिलिटीयों द्वारा किए गए प्रक्षेपणों में भी विचार किया जाता है।

(घ) : राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों की प्रचालन एवं वित्तीय दक्षता को सुधारने के उद्देश्य से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) के प्रचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए दिनांक 20.11.2015 को विद्युत मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) नामक एक स्कीम को अधिसूचित किया गया। भागीदार राज्य स्कीम में दर्शाए गए उपायों से डिस्कॉमों का प्रचालन और वित्तीय कायाकल्प करने का उत्तरदायित्व लेंगे। पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने और लाइन की हानियों को कम करने के लिए उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण तथा कृषि फीडर्स के पृथक्करण के लिए भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नाम की दो स्कीमें भी शुरू की गई हैं। इनसे वितरण कंपनियां वित्तीय रूप से मजबूत भी बनेंगी।

(ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत के प्रशुल्क का निर्धारण समुचित आयोग द्वारा किया जाता है। विद्युत के दक्ष मूल्य निर्धारण के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं :

- (i) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ताओं को उचित और प्रतिस्पर्धी दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से दिनांक 28.01.2016 को संशोधित प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है।
- (ii) प्रतिस्पर्द्धता और पारदर्शिता लाने के लिए, विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा अल्पावधि हेतु विद्युत के प्रापण हेतु डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल को प्रारंभ किया गया है।
- (iii) घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाया गया है जिसका लक्ष्य विद्युत की लागत में कमी करना है।
- (iv) अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र तक विद्युत का अंतरण कर सकने के लिए, पारेषण प्रणाली का संवर्धन किया गया है जिससे विद्युत क्रय लागत में कमी हुई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4281

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र संबंधी सुधार

4281. श्री पी. करुणाकरन:

श्री रवीन्द्र कुमार राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विभिन्न राज्यों में डिस्कॉम को साल-दर-साल लगातार घाटा हो रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;
- (ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो देश में विद्युत क्षेत्र संबंधी सुधार को प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं;
- (ग) इन राज्यों में पारेषण और वितरण संबंधी घाटे का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह सच है कि सुधार के बावजूद पारेषण और वितरण घाटा कम नहीं हुआ है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पारेषण व वितरण घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा तैयार की गई "राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार, वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक उपभोक्ताओं को सीधे ही विद्युत का विक्रय करने वाली यूटिलिटियों की सकल हानियां नीचे दी जाती हैं :

	2012-13	2013-14	2014-15
प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि) (रूपए करोड़ में)	(70,835)	(67,041)	(56,206)
प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि) (रूपए करोड़ में)	(71,621)	(67,336)	(58,275)

राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

हानियां मुख्य रूप से तकनीकी और वाणिज्यिक कारणों के कारण हैं। तकनीकी हानियां विद्युत के पारेषण, परिवर्तन एवं वितरण के लिए उपयोग किए गए कण्डक्टरों तथा उपस्करों में नष्ट होने वाली ऊर्जा के कारण है। वाणिज्यिक हानियां उपभोग की गई ऊर्जा किंतु वसूल न किए गए राजस्व के कारण है जोकि मुख्य रूप से लाइनों की हुकिंग, मीटरों की बायपासिंग, खराब मीटरों, मीटर रीडिंग और बिलिंग में खराबी, विद्युत की अनुमानित गैर-मीटरीकृत आपूर्ति तथा विलिंकृत राशि की गैर-वसूली आदि के कारण है।

(ख) : उन राज्यों के नाम जिन्होंने विद्युत अधिनियम, 2003 के पश्चात देश में विद्युत सुधारों का कार्यान्वयन किया है, **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 09.08.2016 तक की स्थिति के अनुसार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखण्ड, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मणिपुर राज्यों ने डिस्कामों के प्रचालनगत और वित्तीय टर्नअराउण्ड के उद्देश्य से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) से (ङ) : पारेषण एवं वितरण हानियों सहित वर्ष **2012-13** से **2014-15** के लिए उपभोक्ताओं को सीधे ही विद्युत का विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लिए समग्र एटीएंडसी हानियां नीचे दी गई हैं:

	2012-13	2013-14	2014-15
एटीएंडसी हानि (%)	25.48	22.58	24.62

राज्य-वार एवं यूटिलिटी-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

वितरण नेटवर्क में औसत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों की कमी का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से डिस्कामों और विद्युत विभागों/यूटिलिटियों का है। तथापि, एटीएंडसी हानियों की कमी को सुगम बनाने और विद्युत वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) और उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसे विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की हैं।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4281 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य-वार और यूटिलिटी-वार हुई हानि का ब्यौरा (करोड़ में)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2012-13		2013-14		2014-15	
			प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	-1,088	-1,088		0		0
		एनबीपीडीसीएल	-56	-56	-74	-74	-297	-491
		एसबीपीडीसीएल	-84	-84	-269	-269	-748	-748
	बिहार कुल		-1,227	-1,227	-343	-343	-1,044	-1,239
	झारखण्ड	जेएसईबी	-2,668	-2,668	-3,950	-3,950		0
		जेबीवीएनएल		0	-71	-71	-37	-37
	झारखण्ड कुल		-2,668	-2,668	-4,021	-4,021	-37	-37
	ओडिशा	सीईएसयू	-316	-316	-199	-199	-202	-202
		एनईएससीओ	-77	-77	-45	-45	-123	-123
		एसईएससीओ	-34	-34	-11	-11	-379	-379
		डब्ल्यूईएससीओ	-132	-132	-87	-87	-224	-224
	ओडिशा कुल		-559	-559	-342	-342	-929	-929
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	39	39	33	33	-126	-126
	सिक्किम कुल		39	39	33	33	-126	-126
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	82	82	19	19	20	20
	पश्चिम बंगाल कुल		82	82	19	19	20	20
पूर्वी कुल			-4,332	-4,332	-4,654	-4,654	-2,116	-2,310
उत्तर पूर्वी	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	-255	-255	-428	-428	-257	-257
	अरुणाचल प्रदेश कुल		-255	-255	-428	-428	-257	-257
	असम	एपीडीसएल	-418	-568	-528	-693	-578	-578
	असम कुल		-418	-568	-528	-693	-578	-578
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-315	-315	-194	-194		0
		एमएसपीडीसीएल		0		0	0	0
	मणिपुर कुल		-315	-315	-194	-194	0	0
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	-221	-221	-295	-295	-202	-202
	मेघालय कुल		-221	-221	-295	-295	-202	-202
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-200	-200	-192	-192	-192	-192
	मिजोरम कुल		-200	-200	-192	-192	-192	-192
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-212	-212	-191	-191	-315	-315
	नागालैंड कुल		-212	-212	-191	-191	-315	-315
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	-107	-107	-62	-62	-60	-82
	त्रिपुरा कुल		-107	-107	-62	-62	-60	-82
उत्तर पूर्वी कुल			-1,730	-1,880	-1,891	-2,056	-1,603	-1,625
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	21	21	8	8	63	63
		बीएसईएस यमुना	25	25	11	11	19	19
		टीपीडीडीएल	310	310	334	334	336	336
	दिल्ली कुल		356	356	353	353	418	418
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-1,352	-1,352	-2,089	-2,089	-636	-636
		यूएचबीवीएनएल	-2,297	-2,297	-1,465	-1,465	-1,481	-1,481
	हरियाणा कुल		-3,649	-3,649	-3,554	-3,554	-2,117	-2,117
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	-340	-340	-137	-137	-125	-125
	हिमाचल प्रदेश कुल		-340	-340	-137	-137	-125	-125
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	-3,129	-3,129	-2,387	-2,387	-3,913	-3,913
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		-3,129	-3,129	-2,387	-2,387	-3,913	-3,913
	पंजाब	पीएसपीसीएल	261	94	249	249	133	-1,100

	पंजाब कुल		261	94	249	249	133	-1,100
	राजस्थान	एवीवीएनएल	-3,905	-3,905	-4,843	-4,843	-3,593	-3,593
		जेडीवीवीएनएल	-4,285	-4,285	-5,299	-5,299	-4,146	-4,146
		जेवीवीएनएल	-4,161	-4,161	-5,503	-5,503	-4,735	-4,735
	राजस्थान कुल		-12,351	-12,351	-15,645	-15,645	-12,474	-12,474
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-3,364	-3,364	-5,521	-5,521	-2,936	-2,936
		केईएससीओ	-545	-545	-674	-674	-168	-168
		एमवीवीएन	-2,033	-2,033	-3,263	-3,263	-1,994	-1,994
		पश्च वीवीएन	-1,303	-1,303	-3,172	-3,172	-1,577	-1,577
		पूर्व वीवीएन	-2,533	-2,533	-4,095	-4,095	-2,000	-2,000
	उत्तर प्रदेश कुल		-9,778	-9,778	-16,724	-16,724	-8,675	-8,675
	उत्तराखण्ड	उत् पीसीएल	-16	-16	323	323	-260	-260
	उत्तराखण्ड कुल		-16	-16	323	323	-260	-260
उत्तरी कुल			-28,647	-28,814	-37,521	-37,521	-27,012	-28,245
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	-7,718	-7,718	-811	-811		0
		एपीईपीडीसीएल	-1,681	-1,681	-136	-136	-722	-722
		एपीएनपीडीसीएल	-3,436	-3,445	-31	-31		0
		एपीएसपीडीसीएल	-4,673	-4,678	-401	-401	-1,675	-1,827
	आंध्र प्रदेश कुल		-17,508	-17,522	-1,379	-1,379	-2,397	-2,549
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	-433	-433	76	76	113	113
		सीएचईएससीओएम	-270	-337	-16	-72	40	37
		जीईएससीओएम	-189	-189	38	38	-110	-110
		एचईएससीओएम	41	41	-576	-576	30	30
		एमईएससीओएम	13	13	0	0	14	14
	कर्नाटक कुल		-838	-905	-478	-534	88	85
	केरल	केएसईबी	241	241	140	140		0
		केएसईबीएल		0	-24	-24	-1,273	-1,273
	केरल कुल		241	241	116	116	-1,273	-1,273
	पुडुच्चेरी	पुडुच्चेरी पीडी	-308	-308	-60	-60	157	157
	पुडुच्चेरी कुल		-308	-308	-60	-60	157	157
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	-11,679	-12,064	-13,985	-14,052	-12,757	-12,757
	तमिलनाडु कुल		-11,679	-12,064	-13,985	-14,052	-12,757	-12,757
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल		0		0	-1,343	-1,741
		टीएसएसपीडीसीएल		0		0	-1,171	-1,171
	तेलंगाना कुल			0		0	-2,513	-2,912
दक्षिणी कुल			-30,092	-30,559	-15,786	-15,909	-18,695	-19,249
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	-498	-498	-630	-630	-1,554	-1,569
	छत्तीसगढ़ कुल		-498	-498	-630	-630	-1,554	-1,569
	गोवा	गोवा पीडी	-285	-285	-4	-4	-17	-17
	गोवा कुल		-285	-285	-4	-4	-17	-17
	गुजरात	डीजीवीसीएल	25	25	52	52	51	51
		एमजीवीसीएल	21	21	19	19	29	29
		पीजीवीसीएल	11	11	10	10	11	11
		यूजीवीसीएल	14	14	14	14	17	17
	गुजरात कुल		71	71	95	95	108	108
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-1,593	-1,595	-2,672	-2,672	-2,728	-2,765
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-1,425	-1,425	-1,811	-1,811	-1,061	-1,061
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1,432	-1,432	-1,887	-1,893	-1,162	-1,175
	मध्य प्रदेश कुल		-4,450	-4,452	-6,370	-6,376	-4,950	-5,001
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-871	-871	-280	-280	-366	-366
	महाराष्ट्र कुल		-871	-871	-280	-280	-366	-366
पश्चिमी कुल			-6,034	-6,036	-7,190	-7,196	-6,780	-6,845
सकल योग			-70,835	-71,621	-67,041	-67,336	-56,206	-58,275

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4281 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में वे राज्य जिन्होंने विद्युत सुधार कार्यान्वित किए हैं

क्र.सं.	पुनर्संगठित एसईबी	अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनमें विद्युत विभाग है और एसईबी नहीं है
1	दिल्ली	नागालैंड
2	हरियाणा	मिजोरम
3	राजस्थान	मणिपुर
4	उत्तर प्रदेश	गोवा
5	उत्तराखण्ड	जम्मू एवं कश्मीर**
6	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
7	कर्नाटक	त्रिपुरा*
8	असम	पुडुच्चेरी
9	ओडिशा	चंडीगढ़
10	पश्चिम बंगाल	दमन व दीव
11	गुजरात	दादर व नगर हवेली
12	महाराष्ट्र	अंडमान व निकोबार
13	मध्य प्रदेश	लक्षद्वीप
14	छत्तीसगढ़	सिक्किम
15	तमिलनाडु	
16	पंजाब	
17	मेघालय	
18	हिमाचल प्रदेश	
19	बिहार	
20	झारखण्ड	
21	केरल	
कुल	21	14

* त्रिपुरा ने अपने विद्युत विभाग का निगमितीकरण कर दिया है।

** जम्मू एवं कश्मीर के लिए: विद्युत अधिनियम, 2003 लागू नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4281 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2012-13 से 2014-15 के लिए राज्य-वार और यूटिलिटी-वार एटीएण्डसी हानियों का ब्यौरा					
क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2012-13	2013-14	2014-15
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	59.40		
		एनबीपीडीसीएल	50.85	41.93	41.76
		एसबीपीडीसीएल	45.77	48.70	45.28
	बिहार कुल		54.64	46.33	43.99
	झारखण्ड	जेएसईबी	47.49	26.30	
		जेबीवीएनएल			47.01
	झारखण्ड कुल		47.49	26.30	47.01
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	53.51	71.23	42.37
	सिक्किम कुल		53.51	71.23	42.37
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	34.43	32.05	35.35
	पश्चिम बंगाल कुल		34.43	32.05	35.35
	ओडिशा	एनईएससीओ	39.61	36.47	38.36
		एसईएससीओ	49.36	41.18	42.57
		डब्ल्यूईएससीओ	41.87	41.24	41.03
		सीईएसयू	43.43	38.48	37.08
	ओडिशा कुल		42.88	39.19	39.28
पूर्वी कुल			42.04	36.24	39.64
उत्तर पूर्वी	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	60.26	68.20	67.83
	अरुणाचल प्रदेश कुल		60.26	68.20	67.83
	असम	एपीडीसीएल	31.85	30.25	26.00
	असम कुल		31.85	30.25	26.00
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	85.49	43.55	
		एमएसपीडीसीएल			49.62
	मणिपुर कुल		85.49	43.55	49.62
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	41.71	39.77	34.69
	मेघालय कुल		41.71	39.77	34.69
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	27.55	32.53	33.51
	मिजोरम कुल		27.55	32.53	33.51
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	75.30	38.37	78.48
	नागालैंड कुल		75.30	38.37	78.48
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	34.45	41.81	38.02
	त्रिपुरा कुल		34.45	41.81	38.02
उत्तर पूर्वी कुल			39.97	35.92	35.29
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	15.16	16.19	10.76
		बीएसईएस यमुना	17.94	15.51	19.68
		टीपीडीसीएल	13.12	9.75	10.31
	दिल्ली कुल		15.22	14.09	12.90
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	28.31	30.89	30.71
		यूएचबीवीएनएल	36.97	38.61	34.83
	हरियाणा कुल		32.55	34.33	32.52
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	11.90	14.82	15.21
	हिमाचल प्रदेश कुल		11.90	14.82	15.21
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	60.87	49.14	59.04
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		60.87	49.14	59.04
	पंजाब	पीएसपीसीएल	17.52	17.87	17.56
	पंजाब कुल		17.52	17.87	17.56
	राजस्थान	एवीवीएनएल	19.90	22.06	28.13
		जेडीवीवीएनएल	18.97	25.71	26.99
		जेवीवीएनएल	20.91	31.08	32.00
	राजस्थान कुल		20.00	26.77	29.28

	उत्तर प्रदेश	डीवीएन	45.69	36.47	40.18
		केईएससीओ	37.61	34.29	32.02
		एमवीवीएन	45.83	14.43	35.18
		पश्च वीवीएन	33.39	23.49	22.19
		पूर्व वीवीएन	52.37	20.09	42.91
	उत्तर प्रदेश कुल		42.85	24.67	33.82
	उत्तराखण्ड	यूटी पीसीएल	23.18	19.01	18.82
	उत्तराखण्ड कुल		23.18	19.01	18.82
उत्तरी कुल			28.89	24.86	28.06
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	15.64	17.54	
		एपीईपीडीसीएल	10.15	6.57	7.67
		एपीएनपीडीसीएल	13.09	20.80	
		एपीएसपीडीसीएल	12.74	11.77	12.01
	आंध्र प्रदेश कुल		13.70	14.77	10.55
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	20.45	18.93	17.59
		सीएचईएससीओएम	30.42	33.92	21.64
		जीईएससीओएम	18.28	30.45	21.25
		एचईएससीओएम	20.44	20.42	19.49
		एमईएससीओएम	14.57	14.83	15.72
	कर्नाटक कुल		20.78	22.02	18.71
	केरल	केएसईबी	12.32	11.45	
		केएसईबीएल		22.99	17.64
	केरल कुल		12.32	16.48	17.64
	पुडुच्चेरी	पुडुच्चेरी पीडी	9.13	16.18	16.64
	पुडुच्चेरी कुल		9.13	16.18	16.64
	तमिलनाडु	टीएनजीईडीसीओ	20.71	22.35	24.74
	तमिलनाडु कुल		20.71	22.35	24.74
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल			16.49
		टीएसएसपीडीसीएल			11.91
	तेलंगाना कुल				13.23
दक्षिणी कुल			17.40	19.08	18.22
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	25.12	23.17	27.84
	छत्तीसगढ़ कुल		25.12	23.17	27.84
	गोवा	गोवा पीडी	14.14	10.72	13.31
	गोवा कुल		14.14	10.72	13.31
	गुजरात	डीजीवीसीएल	10.40	10.83	10.81
		एमजीवीसीएल	14.94	14.77	11.47
		पीजीवीसीएल	30.41	24.12	25.18
		यूजीवीसीएल	14.37	9.10	10.21
	गुजरात कुल		19.87	15.93	16.06
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	29.97	29.60	32.47
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	28.16	21.15	30.79
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	36.40	34.83	27.09
	मध्य प्रदेश कुल		31.15	28.03	30.26
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	21.95	14.39	19.75
	महाराष्ट्र कुल		21.95	14.39	19.75
पश्चिमी कुल			23.36	18.37	21.59
सकल योग			25.48	22.58	24.62

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4296

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

खाना पकाने के लिए विद्युत का उपयोग

4296. श्री जैदेव गल्ला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने यह सुझाव दिया है कि विद्युत को रसोई गैस के स्वच्छ कुकिंग विकल्प के रूप में अपनाया जाए;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का इस सुझाव के कार्यान्वयन की संभावना को तलाशने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने नीति आयोग की वेबसाइट पर एक ब्लॉग में अपना विचार व्यक्त किया था कि कुकिंग के लिए विद्युत को स्वच्छ ईंधन बनाया जाए। इस ब्लॉग में अभिव्यक्त विचार भारत सरकार अथवा नीति आयोग के विचारों को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4304

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत कटौती

4304. श्री कमल नाथ:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्तमान में देश में विद्युत का अधिशेष है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश में बड़ी संख्या में लोगों को विद्युत प्राप्त नहीं हो रही है और बार-बार विद्युत कटौती का सामना कर रहे हैं और प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत विश्व के औसत से बहुत ही कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार का विद्युत क्षेत्र द्वारा ऐसे विभिन्न मुद्दों का किया जा रहा सामना के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए प्रकाशित लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (एलजीबीआर) के अनुसार वर्ष के दौरान देश में ऊर्जा उपलब्धता ऊर्जा मांग से लगभग 1.1% अधिक होने की संभावना है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ऊर्जा				व्यस्ततम			
मांग	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी(-)	
(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
1,214,642	1,227,895	13,252	1.1	165,253	169,503	4,250	2.6

(ख) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 24,67,40,228 घर हैं जिनमें से 16,59,35,192 घर प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत का उपयोग कर रहे थे।

भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वैश्विक औसत से कम है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) वेबसाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत और वैश्विक औसत निम्नानुसार है:

वर्ष	भारत की प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)	वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)*
2011-12	884	2972
2012-13	914	3026

(ग) : अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे ऐसे विभिन्न मामलों का समाधान करने के लिए उठाए गए कदम/उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान, दिनांक 30 जून, 2016 तक परंपरागत स्रोतों से लगभग 86,565 मेगावाट और नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 19,500 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयला आपूर्ति की वृद्धि 2015-16 के दौरान लगभग 6.2% रही है। 03.08.2016 तक की स्थिति के अनुसार, विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 30.3 मिलियन टन (एमटी) है, जोकि 21 दिनों के नियामक स्टॉक की तुलना में विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के 22 दिनों के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में, नाजुक कोयला स्टॉक वाला कोई स्टेशन नहीं है।
- (iii) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान, 89,813 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें और 2,66,033 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता 30 जून, 2016 तक पूरी कर ली गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की भागीदारी से सभी के लिए चौबीसों घंटे (24x7) विद्युत (पीएफए) उपलब्ध करवाने के लिए राज्य विशेष कार्य योजना तैयार करने के लिए पहल शुरू की है।
- (v) भारत सरकार द्वारा उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण और पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडर्स के पृथक्करण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नाम की दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्नअराउण्ड के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रेडिड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता मुहैया कराते हुए एक स्कीम शुरू की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4312

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

4312. श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वह विद्युत अवसंरचना क्या है जिसके आधार पर सरकार गांव को विद्युतीकृत समझती है;
- (ख) यह जानने के लिए कि क्या एक गांव विद्युतीकृत है क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;
- (ग) क्या विद्युत अवसंरचना की उपलब्धता मात्र को ही मूल्यांकन विशेषज्ञ गांव के विद्युतीकरण के रूप में मानदण्ड को मानते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उन परिवारों जिनको विद्युतीकृत गांवों में विद्युत उपलब्ध है, का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार, किसी गांव को विद्युतीकृत परिभाषित किया जाता है, यदि:

- (i) आवासित स्थानों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों द्वारा स्थानीय रूप से आवासित/वासस्थल, जहां वह मौजूद है, में वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध करवा दी जाती है।
- (ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों इत्यादि को विद्युत उपलब्ध करवा दी जाती है, तथा
- (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव में कुल घरों की संख्या की कम से कम 10% होनी चाहिए।

किसी गांव को राज्यों द्वारा तभी विद्युतीकृत घोषित किया जाता है जब वह उपरोक्त वर्णित मानदंडों को पूरा करता है। तथापि, अवसंरचना का स्तर उसी गांव के विभिन्न आवासों में अलग-अलग हो सकता है।

गांवों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों और राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा सूचित किए जाते हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के प्रचालनीकरण के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) तैनात किए हैं जो गांवों का दौरा करते हैं और दौरे के दिन की स्थिति रिपोर्ट करते हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो राज्यों/डिस्कॉमों को स्थिति सुधारने के लिए आरईसी द्वारा सलाह दी जाती है।

(घ) : सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 16,78,26,730 ग्रामीण घर थे, जिनमें से 9,28,08,038 घरों को विद्युत उपलब्ध कराई गई थी और शेष 7,50,18,692 घर गैर-विद्युतीकृत थे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2012-13 से 53,26,016 गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4312 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रकाश के लिए मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत का उपभोग कर रहे घर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या							
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण घर			शहरी घर		
		घरों की कुल संख्या	विद्युत का उपभोग कर रहे घरों की कुल संख्या	विद्युत का उपभोग कर रहे घरों का %	घरों की कुल संख्या	विद्युत का उपभोग कर रहे घरों की कुल संख्या	विद्युत का उपभोग कर रहे घरों का %
	राज्य						
1	आंध्र प्रदेश	14,246,309	12,782,453	89.72%	6,778,225	6,594,769	97.29%
2	अरुणाचल प्रदेश	195,723	108,550	55.46%	65,891	63,271	96.02%
3	असम	5,374,553	1,524,221	28.36%	992,742	834,679	84.08%
4	बिहार	16,926,958	1,754,673	10.37%	2,013,671	1,343,762	66.73%
5	छत्तीसगढ़	4,384,112	3,070,879	70.05%	1,238,738	1,161,062	93.73%
6	गोवा	124,674	119,208	95.62%	198,139	193,553	97.69%
7	गुजरात	6,765,403	5,749,271	84.98%	5,416,315	5,263,943	97.19%
8	हरियाणा	2,966,053	2,585,338	87.16%	1,751,901	1,684,959	96.18%
9	हिमाचल प्रदेश	1,310,538	1,265,897	96.59%	166,043	162,886	98.10%
10	जम्मू एवं कश्मीर	1,497,920	1,208,527	80.68%	517,168	507,030	98.04%
11	झारखण्ड	4,685,965	1,514,050	32.31%	1,495,642	1,315,817	87.98%
12	कर्नाटक	7,864,196	6,819,812	86.72%	5,315,715	5,125,655	96.42%
13	केरल	4,095,674	3,772,137	92.10%	3,620,696	3,512,569	97.01%
14	मध्य प्रदेश	11,122,365	6,479,144	58.25%	3,845,232	3,565,500	92.73%
15	महाराष्ट्र	13,016,652	9,605,299	73.79%	10,813,928	10,398,865	96.16%
16	मणिपुर	335,752	205,444	61.19%	171,400	141,191	82.38%
17	मेघालय	422,197	217,739	51.57%	116,102	110,219	94.93%
18	मिजोरम	104,874	72,138	68.79%	116,203	114,017	98.12%
19	नागालैंड	284,911	214,319	75.22%	115,054	112,086	97.42%
20	ओडिशा	8,144,012	2,895,252	35.55%	1,517,073	1,260,634	83.10%
21	पंजाब	3,315,632	3,166,394	95.50%	2,094,067	2,059,399	98.34%
22	राजस्थान	9,490,363	5,528,360	58.25%	3,090,940	2,901,680	93.88%
23	सिक्किम	92,370	83,277	90.16%	35,761	35,301	98.71%
24	तमिलनाडु	9,563,899	8,683,426	90.79%	8,929,104	8,581,633	96.11%
25	त्रिपुरा	607,779	361,573	59.49%	235,002	215,214	91.58%
26	उत्तर प्रदेश	25,475,071	6,054,978	23.77%	7,449,195	6,065,253	81.42%
27	उत्तराखण्ड	1,404,845	1,166,756	83.05%	592,223	571,419	96.49%
28	पश्चिम बंगाल	13,717,186	5,529,496	40.31%	6,350,113	5,405,627	85.13%
	कुल (राज्य)	167,535,986	92,538,611	55.24%	75,042,283	69,301,993	92.35%
	संघ राज्य क्षेत्र						
1	चंडीगढ़	6,785	6,603	97.32%	228,276	224,601	98.39%
2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	79,115	77,366	97.79%	3,261,423	3,233,443	99.14%
3	दमन व दीव	12,750	12,532	98.29%	47,631	47,292	99.29%
4	दादर व नगर हवेली	35,408	32,452	91.65%	37,655	37,106	98.54%
5	लक्षद्वीप	2,523	2,517	99.76%	8,180	8,152	99.66%
6	पुडुच्चेरी	95,133	91,105	95.77%	206,143	203,100	98.52%
7	अंडमान व निकोबार द्वीप	59,030	46,852	79.37%	34,346	33,569	97.74%
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	290,744	269,427	92.67%	3,823,654	3,787,263	99.05%
	सकल योग (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र)	167,826,730	92,808,038	55.30%	78,865,937	73,089,256	92.68%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4324

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

जल विद्युत संयंत्र

4324. श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

श्री राजू शेही:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;
- (ख) जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है, जो सरकार के पास लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा राज्य-वार और प्रस्ताव-वार क्या कार्यवाही की गई है;
- (ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान के कोटा जिले में नए विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश के विभिन्न राज्यों में पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 31.7.2016 तक) के दौरान 2357 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 9 जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई थी। इन 9 परियोजनाओं (2357 मेगावाट) में से 3 परियोजनाओं को इस अवधि के दौरान आंशिक रूप से शुरू किया गया था और इनका ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) : 8457 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 15 जल विद्युत स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) जांच हेतु दिनांक 30.6.2016 की स्थिति के अनुसार, सीईए/सीडब्ल्यूसी/जीएसआई/सीएसएमआरएस में विभिन्न मूल्यांकन समूहों द्वारा प्राप्त की गई हैं। इन परियोजनाओं तथा इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुबंध-॥ में दिया गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के शीघ्र मूल्यांकन हेतु विभिन्न मूल्यांकन एजेंसियों और परियोजना विकासकर्ताओं के साथ नियमित रूप से इन परियोजनाओं की समीक्षा करता है।

(ग) और (घ) : ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 के पारित होने के पश्चात, ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार सरकार ने राजस्थान के कोटा जिले में जल विद्युत (25 मेगावाट से अधिक) या थर्मल नए विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4324 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

.....

पिछले दो वर्षों के दौरान जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि

क्र.सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/राज्य/क्षमता (मेगावाट)	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की तिथि
2014-15 के दौरान चालू की गई				
1.	पार्वती-III # एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश 4x130=520 मेगावाट	यूनिट-4	130	22.05.2016
2.	रामपुर # एसजेवीएन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश 6x68.67=412 मेगावाट	यूनिट-3 यूनिट-4 यूनिट-6	68.67 68.67 68.67	31.07.2014 12.06.2014 04.12.2014
3क.	कोलडैम एनटीपीसी, हिमाचल प्रदेश 4x200=800 मेगावाट	यूनिट-1 यूनिट-2	200 200	31.03.2015 30.03.2015
कुल (2014-15)			736	
2015-16 के दौरान चालू की गई				
3ख.	कोलडैम एनटीपीसी, हिमाचल प्रदेश 4x200=800 मेगावाट	यूनिट-3 यूनिट-4	200 200	10.04.2015 12.06.2015
4क.	तीस्ता लो डैम-IV ## एनएचपीसी, पश्चिम बंगाल 4x40=160 मेगावाट	यूनिट-1 यूनिट-2	40 40	14.02.2016 16.03.2016
5.	बगलिहार - II जेकेपीडीसी, जम्मू एवं कश्मीर 3x150=450 मेगावाट	यूनिट-1 यूनिट-2 यूनिट-3	150 150 150	05.09.2015 29.09.2015 26.10.2015
6.	लोअर जुराला टीएसजेनको, तेलंगाना 6x40=240 मेगावाट	यूनिट-1 यूनिट-2 यूनिट-3 यूनिट-4	40 40 40 40	14.10.2015 30.09.2015 04.01.2016 05.03.2016
7.	श्रीनगर एचपीसीएल, उत्तराखण्ड 4x82.5=330 मेगावाट	यूनिट-1 यूनिट-2 यूनिट-3 यूनिट-4	82.5 82.5 82.5 82.5	10.04.2015 08.06.2015 20.04.2015 03.06.2015
8.	जोरथांग लूप डैन्स प्रा.लि., सिक्किम 2x48=96 मेगावाट	यूनिट-1 यूनिट-2	48 48	22.09.2015 23.09.2015
कुल (2015-16)			1516	
2016-17 के दौरान चालू की गई				
4ख.	तीस्ता लो डैम-IV ## एनएचपीसी, पश्चिम बंगाल 4x40=160 मेगावाट	यूनिट-3	40	03.07.2016
9.	कशांग-I एचपीसीएल, हिमाचल प्रदेश 1x65=65 मेगावाट	यूनिट-1	65	26.06.2016
कुल (2016-17)			105	
कुल (2014 - तिथि तक)			2357 मेगावाट	

इन परियोजनाओं की अन्य इकाइयाँ वर्ष 2013-14 के दौरान चालू की गई थी।

टीएलडी IV की चौथी यूनिट अगस्त, 2016 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4324 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीईए में जाँचाधीन भारत में जल विद्युत स्कीमों की स्थिति

30.06.2016 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	स्कीम/राज्य/एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1	क्वार जेएण्डके/सीवीपीपी	540	सिविल डिजाइन और लागत पहलुओं की दृष्टि से डीपीआर सीईए/सीडब्ल्यूसी में जाँचाधीन है। विकासकर्ता से अनुपालन प्रतीक्षित है। अन्य पहलुओं की जाँच और मूल्यांकन किया गया है।
2	सवालकोट जेएण्डके/जेकेपीडीसी	1856	डिजाइन पहलुओं के संबंध में डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया है और लागत पहलुओं की सीईए/सीडब्ल्यू में जाँच की गई।
3	सेली, हिमाचलप्रदेश/ एसएचपीसीएल	400	भू-वैज्ञानिक पहलू को छोड़कर इन सभी पहलुओं के संबंध में डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया है। 29.09.2015 को सहमति बैठक हुई। विकासकर्ता को भू-वैज्ञानिक जाँच पूरी करनी है तथा संवीक्षा हेतु जीएसआई को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। विकासकर्ता ने सूचित किया है कि भू-वैज्ञानिक जाँच रिपोर्ट मार्च, 2017 तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।
4	सच खास हिमाचल प्रदेश/ एलएण्डटी एचएचपीएल	267	सभी पहलुओं के संबंध में डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया है तथा सहमति की बैठक अगस्त, 2016 में आयोजित की जाएगी।
5	झेलम तमक/ उत्तराखण्ड/ टीएचडीसीआईएल	108	सिविल कार्यों की लागत को छोड़कर सभी पहलुओं के लिए डीपीआर को स्वीकृति दे दी गई है। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) के दिनांक 08.11.2015 के अर्द्ध शासकीय पत्र को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति की ई-प्रवाह संबंधी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण डीपीआर को सहमति नहीं दी जा सकती।
6	बोवाला नंद प्रयाग उत्तराखण्ड/ यूजेवीएनएल	300	सभी पहलुओं के संबंध में डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया है। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) के दिनांक 08.11.2015 के अर्द्ध शासकीय पत्र को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति की ई-प्रवाह संबंधी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण डीपीआर को सहमति नहीं दी जा सकती।
7	डगमारा बिहार/ बीएसएचपीसीएल	130	सभी पहलुओं के संबंध में डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया है तथा सहमति बैठक 20.03.2013 को आयोजित की गई। उच्च परियोजना लागत और प्रशुल्क के कारण प्राधिकारी द्वारा सहमति स्वीकृत नहीं की गई। विकासकर्ता ने अपने 05.07.2016 के पत्र के तहत लागत 296.1 करोड़ रुपये तक कम करके लागत का विनियोजन प्रस्तुत किया है। इसकी सीडब्ल्यू में जाँच की गई थी और सीडब्ल्यूसी में 18.07.2016 को टिप्पणियां जारी की गईं। विकासकर्ता से अनुपालन अपेक्षित है।

क्र.सं.	स्कीम/राज्य/एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
8	उमंगोट मेघालय/ एमसीपीजीसीएल	210	जल विज्ञान और विद्युत संभाव्यता पहलुओं की दृष्टि से डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया। अन्य पहलू सीईए/जीएसआई/सीएसएमआरएस में जाँचाधीन हैं। स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विकासकर्ता अधिक रुचि नहीं दर्शा रहा है।
9	सुबानसिरी मिडिल (कमला) अरुणाचल प्रदेश/ केएचईपीसीएल	1800	जल विज्ञान, विद्युत संभाव्यता इत्यादि पहलू के संबंध में डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया है। डिजाइन पहलू सीडब्ल्यूसी/जीएसआई/सीएसएमआरएस/सीईए में जाँचाधीन हैं।
10	टागुर्शिट अरुणाचल प्रदेश / एलएण्डटी	74	सभी पहलुओं के संबंध में डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया है और सहमति बैठक अगस्त, 2016 में आयोजित की जाएगी।
11	अत्तुन्ली एचईपी अरुणाचल प्रदेश/ एएचईपीसीएल	680	भू-तकनीकी पहलू को छोड़कर डिजाइन पहलुओं के संबंध में जाँच और मूल्यांकन किया गया है। भू-तकनीकी दृष्टिकोण के पहलू और लागत के पहलू सीएसएमआरएस/सीडब्ल्यूसी/सीईए में जाँचाधीन हैं।
12	तुर्गा पीएसएस पश्चिम बंगाल/ डब्ल्यूपीएसईडीसीएल	1000	सभी पहलुओं के संबंध में डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया है। सहमति की बैठक 04.08.2016 को आयोजित की जाएगी।
13	लोकतक डी/एस मणिपुर/एनएचपीसी	66	डिजाइन और लागत पहलुओं के संबंध में डीपीआर की जाँच और मूल्यांकन किया गया है। भू-तकनीकी पहलू सीएसएमआरएस में जाँचाधीन है। विकासकर्ता को रॉक फ्रैक्चर टेस्ट के संबंध में प्रतिबद्धता प्रस्तुत करनी है।
14	मागो चू अरुणाचल प्रदेश/ एसएमसीपीसीएल	96	लागत में संशोधन (879.12 करोड़ रुपये से 1042.08 करोड़ रुपये) के कारण दिनांक 17.03.2016 को सीईए में जाँच/सहमति हेतु डीपीआर पर पुनर्विचार किया गया है और सीडब्ल्यूसी/जीएसआई/सीएसएमआरएस/सीईए में जाँचाधीन है।
15	किर्थाई-II जेएण्डके/जेकेपीडीसी	930	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह संशोधित किए जाने के कारण विद्युत आयोजना पहलुओं में संशोधन के कारण सीईए में 31.05.2016 को जाँच/सहमति हेतु डीपीआर पर पुनर्विचार किया गया है।
	कुल	8457	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4327

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

एनटीपीसी और झारखण्ड सरकार के मध्य समझौता

4327. डॉ. अरूण कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एनटीपीसी और झारखण्ड सरकार के मध्य पत्रातु (झारखण्ड) में 8000 मेगावाट ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण हेतु समझौता हस्ताक्षरित किया गया है; और
- (ख) यदि हां, तो लागत बंटवारे, वित्त पोषण, विभिन्न राज्यों के लिए विद्युत हिस्सा, रक्षित कोयला खान का आवंटन, संयंत्र और कोयला खान को सम्मिलित करने वाली भूमि का आवंटन और इसे प्रारंभ करने की समय-सीमा सहित समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी लिमिटेड, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) और झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूएनएल) ने पत्रातु ताप विद्युत स्टेशन (पीटीपीएस) की मौजूदा क्षमता को अपने अधिकार में लेने और प्रचालन करने तथा इसकी क्षमता में, दो चरणों (चरण-I : 3x800 मेगावाट; चरण-II : 2x800 मेगावाट) में 4000 मेगावाट तक क्षमता विस्तार करने के लिए 74:26 की इक्विटी भागीदारी के साथ क्रमशः एनटीपीसी लिमिटेड और जेबीवीएनएल के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु दिनांक 29.07.2015 को संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए।

(ख) : पत्रातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) को दिनांक 15.10.2015 को निगमित किया गया है और पीटीपीएस को अपने अधिकार में ले लिया है। पत्रातु के क्षमता विस्तार को 75:25 के ऋण:इक्विटी के अनुपात में वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है। बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण जुटाया जाएगा और अपेक्षित इक्विटी प्रवर्तकों द्वारा प्रदान की जाएगी।

विद्युत मंत्रालय ने पत्रातु टीपीएस की वर्तमान यूनिटों से 100% विद्युत और प्रस्तावित विस्तार से झारखण्ड राज्य को 85% विद्युत का आवंटन किया है।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने पत्रातु टीपीएस के लिए जेयूएनएल को आबंटित बनहारदी कोयला ब्लॉक को पीवीयूएनएल को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। झारखण्ड सरकार द्वारा पीवीयूएनएल को पत्रातु टीपीएस के प्रस्तावित विस्तार के लिए अपेक्षित भूमि आबंटित की जा चुकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4333

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

जल विद्युत को बढ़ावा देना

4333. श्री रत्न लाल कटारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने जल विद्युत को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रशुल्क नीति तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने विद्युत योजनाओं हेतु लंबी अवधि के ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने आर्थिक पुनर्गठन के माध्यम से 1200 मेगावाट तीस्ता जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 28 जनवरी, 2016 को संशोधित प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है। जल विद्युत परियोजनाओं में आने वाली भूवैज्ञानिक अनिश्चितताओं तथा स्वीकृति संबंधी मामलों के परिप्रेक्ष्य में जल विद्युत परियोजनाओं को दिनांक 15 अगस्त, 2022 तक प्रतिस्पर्द्धी बोली से छूट दी गई है। जल विद्युत परियोजनाओं के पीपीए को 35 वर्षों के बाद आगे और 15 वर्ष तक बढ़ाने का एक प्रावधान बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, जल विद्युत को नवीकरणीय क्रय दायित्वों के आकलन से छूट दी गई है। एक प्रावधान यह भी बनाया गया है कि विकासकर्ता के पास प्रशुल्क का अनुमोदन मांगते समय उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा के अध्यक्षीन मूल्यहास की दीर्घकालीन दर दर्शाने का विकल्प होगा।

(ग) : विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात् पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. पहले ही दीर्घकालिक ऋण प्रदान कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा कुछ मामलों में स्थगन अवधि के साथ 30 वर्षों तक की अवधि के लिए निम्न दर के ब्याज के साथ सहायक ऋण भी प्रदान किए गए हैं।

(घ) और (ङ) : निधि संबंधी बाधाओं के कारण, तीस्ता-III एचईपी (1200 मेगावाट) के कार्य सितंबर, 2014 से अक्टूबर, 2015 तक रूक गए थे। तथापि, विद्युत मंत्रालय के हस्तक्षेप से सिक्किम सरकार ने तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% कर दी है। अक्टूबर, 2015 से, परियोजना पर कार्य पुनः आरंभ हो गया है और अब परियोजना को 2016-17 के दौरान चालू किया जाना निर्धारित है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4342

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

4342. श्री अश्विनी कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्रों के विद्युत संयंत्रों द्वारा क्षेत्र-वार, संसाधन-वार और राज्य-वार पृथक रूप से निर्धारित/स्थापित क्षमता कितनी है और कितनी विद्युत उत्पादित की गई है;
- (ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान कोयले और गैस का इस्तेमाल कर विद्युत उत्पादन में कोई कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) गत वर्ष के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में किस सीमा तक वृद्धि हुई है और सरकार द्वारा भविष्य में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है, ताकि देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों द्वारा संस्थापित उत्पादन क्षमता, निर्धारित लक्ष्यों और उत्पादित विद्युत का क्षेत्र-वार, संसाधन-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : जी नहीं।

(ग) : वर्ष 2014-15 के साथ-साथ वर्ष 2015-16 के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है:

क्षेत्र	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार उत्पादन क्षमता	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार उत्पादन क्षमता	वृद्धि प्रतिशत (%)
केंद्रीय	79181.05	75405.45	5.01
राज्य	97006.07	90055.19	7.72
निजी	83228.5	70235.5	18.50
सकल योग	259415.62	235696.14	10.06

देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि करने की योजना बनाई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान अखिल भारत के आधार पर परंपरागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि करने की योजना है। 18वीं (इलेक्ट्रिक पावर सर्वे) ईपीएस के अनुसार विद्युत की अनुमानित मांग को इस क्षमता अभिवृद्धि से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक पूरा किए जाने की संभावना है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4342 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के लिए क्षेत्र वार, ईंधन वार और राज्य वार निगरानी की गई क्षमता, निर्धारित लक्ष्य एवं उत्पादन												
क्षेत्र / संसाधन / राज्य	2016-17 (जुलाई 16 तक)			2015-16			2014-15			2013-14		
	31.07.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	लक्ष्य एमयू	उत्पादन * एमयू	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता मेगावाट	लक्ष्य एमयू	उत्पादन एमयू	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता	लक्ष्य एमयू	उत्पादन एमयू	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	लक्ष्य एमयू	उत्पादन एमयू
केंद्रीय												
जल विद्युत												
अरुणाचल प्रदेश	405	605	648.23	405	1125	1280.25	405	1200	1109.48	405	1250	980.94
असम	225	241	381.6	225	764	781.8	225	764	629.46	225	680	793.81
बीबीएमबी	2866.3	3541	4090.97	2884.3	9076	11818.9	2884.3	9275	10599.78	2884.3	9665	12125.01
डीवीसी	143.2	59	14.41	143.2	219	176.51	143.2	218	267.3	143.2	283	225.63
हिमाचल प्रदेश	4483.02	8859	9198.7	4483.02	15027	18185.69	4083.02	13750	14684.06	3296.34	12620	12508.2
जम्मू एवं कश्मीर	2009	4647	4867.68	2009	9690	11155.85	2009	9539	10640.92	2009	9490	8895.6
मध्य प्रदेश	1520	721	1206.87	1520	3315	2929.22	1520	3455	3670.82	1520	3384	5711.9
मणिपुर	105	140	254.22	105	500	536.64	105	520	372.44	105	500	639.84
मेघालय	50	62	94.1	50	167	175.05	50	167	87.86	50	235	179.41
नागालैंड	75	65	83.9	75	227	163.14	75	227	165.15	75	227	245.71
सिक्किम	570	1229	1294.3	570	2813	3055.43	570	2721	2914.43	570	2841	2653.96
उत्तराखण्ड	1774.2	1672	1873.25	1774.2	5502	5891.04	1774.2	5452	5423.92	1774.2	5514	6248.77
पश्चिम बंगाल	252	424	418.01	212	500	533.63	132	540	394.19	132	642	186.95
नाभिकीय												
गुजरात	440	1100	0	440	3116	2028.17	440	3116	3529.4	440	3282	3752.43
कर्नाटक	880	2053	1902.3	880	6366	7672.71	880	5607	6462.17	880	5778	6539.06
महाराष्ट्र	1400	3173	2981.28	1400	8397	10389.14	1400	7940	10269.89	1400	9081	9884.54
राजस्थान	1180	2688	2398.52	1180	7645	8419.24	1180	7645	7722.39	1180	7778	9233.13
तमिलनाडु	1440	3464	3948.92	1440	9642	5471.76	1440	8158	5227.15	1440	6395	2115.13
उत्तर प्रदेश	440	961	1109.85	440	2834	3432.6	440	2834	2890.54	440	2886	2703.5
कोयला												
आंध्र प्रदेश	2000	5112	4943.83	2000	14600	14469.64	2000	14400	15025.53	2000	14191	14684.48
असम	250	366	565.23	250	497	117.12						
बिहार	4325	8204	8265.69	4325	20650	20827.01	4075	17215	18272.27	3220	15600	14939.36
छत्तीसगढ़	6080	14554	16139.39	6080	42684	46265.11	6080	42153	45074.93	6080	43119	43449.75
दिल्ली	705	358	960.31	705	3900	2241.44	705	4600	3281.21	705	4600	4146.49
डीवीसी	7900	10008	11319.54	7900	30673	27853.42	6800	33497	25283.81	6200	33300	27889.66
हरियाणा	1500	2440	2388.18	1500	6500	5798.2	1500	5912	7022.93	1500	7500	5382.61
मध्य प्रदेश	4760	10341	11210.86	4760	29017	31319.93	4260	28545	29573.73	4260	26860	28795.84
महाराष्ट्र	1660	975	1363.79	1660	4022	1875.66	1000	3700	2310.91	1000	2622	820.79
ओडिशा	3460	8497	9282.36	3460	25800	27697.28	3460	25800	27482.53	3460	25010	25590.5
तमिलनाडु	2500	5512	4528.21	2500	11924	11274.9	2000	6492	5919.44	1500	3893	3896.72
तेलंगाना	2600	6567	6277.51	2600	19550	20250.59	2600	19700	20441.18	2600	19210	19746.25
उत्तर प्रदेश	8310	19161	18590.18	8310	58850	57511.9	8310	58407	58845.8	8310	57355	59232.57
पश्चिम बंगाल	2100	4366	4138.32	2100	13400	12360.43	2100	13700	13378.93	2100	13350	13277.74
लिग्नाइट												
राजस्थान	250	327	273.18	250	1550	1285.56	250	1643	1380.66	250	1423	1437.96
तमिलनाडु	2990	7005	6456.92	2990	18430	17864.31	2990	17618	18327.84	2740	17395	18550.92
प्राकृतिक गैस												
असम	291	561	592.38	291	1725	1758.83	291	1725	1741.04	291	1725	1726.39
गुजरात	1313.59	1049	1271.93	1313.59	3450	2173.9	1313.59	3180	3349.75	1313.59	6295	2711.51
हरियाणा	431.59	376	462.77	431.59	1200	1100.64	431.59	1600	1571.43	431.59	2010	1731.87
महाराष्ट्र	2220	1002	1504.79	2220	0	1233.67	2220	1300	0	2220	500	1506.29
राजस्थान	419.33	346	124.24	419.33	1200	941.97	419.33	1600	1653.45	419.33	1985	1965.34
त्रिपुरा	937.1	1701	1581.9	937.1	5556	4370.16	901.5	2202	3097.98	447.3	1395	1638.24
उत्तर प्रदेश	1493.14	1298	1071.25	1493.14	4200	4511.31	1493.14	5000	4194.28	1493.14	7080	5191.85
नाफ्था												
डीवीसी	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0
केरल	359.58	182	15.4	359.58	500	142.75	359.58	300	819.12	359.58	630	968.53
केंद्रीय (कुल)	79203.05	146012	150095.27	79181.05	406803	409342.5	75405.45	393417	395110.1	70959.57	389579	384905.18

राज्य												
जल विद्युत												
आंध्र प्रदेश	1100	294	64.72	1100	2005	671.33	1100	1886	1862.48	1100	1860	2026.57
असम	100	141	139.93	100	390	408.88	100	390	402.43	100	390	422.14
छत्तीसगढ़	120	70	40.5	120	250	323.3	120	250	258.18	120	250	251.51
गुजरात	1990	898	792.36	1990	4384	2951.85	1990	4301	3811.58	1990	3831	7106.29
हिमाचल प्रदेश	431	689	491.89	366	1062	1161.81	366	1599	1649.61	366	1603	1594.09
जम्मू एवं कश्मीर	1110	2514	2388.19	1110	3634	3980.3	660	3058	3844.1	660	3437	3531.19
झारखण्ड	130	14	0.19	130	154	51.24	130	128	33.73	130	160	109.53
कर्नाटक	3657.4	2958	1983.35	3657.4	12905	7479.37	3657.4	12763	13160.29	3657.4	11751	13026.82
केरल	1881.5	2272	1629.16	1881.5	6751	6363.75	1881.5	6849	6852.65	1881.5	6589	7708.18
मध्य प्रदेश	875	359	366.94	875	2621	1940.6	875	2575	2628.93	875	2575	3504.03
महाराष्ट्र	2406	1572	975.91	2406	3956	3519.33	2406	3852	3780.98	2406	3873	4567.31
मेघालय	282	301	326.63	282	859	860.94	282	820	775.29	282	896	802.2
ओडिशा	2142.25	1782	1471.92	2142.25	6233	4910.34	2142.25	5913	6919.49	2142.25	5991	7547.45
पंजाब	1051	1503	1184.08	1051	3719	4327.84	1051	3938	4039.07	1051	3920	3913.52
राजस्थान	411	20	13.18	411	700	1033.8	411	535	863.33	411	562	1059.98
तमिलनाडु	2182.2	1314	952.35	2182.2	4962	4474.27	2182.2	5061	5058.95	2167.2	4656	4994.75
तेलंगाना	2656.6	636	242.26	2656.6	4711	1515.47	2496.6	4702	4400.92	2536.6	4257	4502.16
उत्तर प्रदेश	501.6	348	205.42	501.6	1115	935.08	501.6	1112	1247.69	501.6	1006	1241.73
उत्तराखण्ड	1252.15	1810	1650.45	1252.15	4498	4762.86	1252.15	4452	4199.36	1252.15	4574	4338.34
पश्चिम बंगाल	986	604	532.83	977	1596	1491.7	977	958	1755.62	977	1078	1208.61
कोयला												
आंध्र प्रदेश	4410	9494	8880.13	4410	26309	24378.43	4410	21173	21034.57	2810	21053	19897.11
बिहार	210	0	0	210	0	0	210	0	0	210	210	0
छत्तीसगढ़	3280	5097	5653.83	2780	18122	15280.5	2780	16372	15592.41	2780	12015	12665.65
दिल्ली	135	16	0	135	400	46.6	135	450	423.54	135	800	379.88
गुजरात	4430	5491	5101.18	4430	19370	15154.65	4180	14750	18474.84	3930	20606	12570.47
हरियाणा	2720	3541	3664.02	3160	12972	10396.08	3160	15116	13616.77	3160	18730	13052.23
झारखण्ड	1190	981	643.76	1190	3451	3230.76	1190	3150	3153.95	1190	3550	2985.15
कर्नाटक	4220	6023	4988.56	4220	17696	17558.5	2720	16307	16786.45	2720	16957	15828.84
मध्य प्रदेश	4080	6585	3939.74	4200	21645	18597.82	4320	19425	17074.22	3845	18126	16206.77
महाराष्ट्र	10970	14097	13345.37	10970	44135	40807.69	9560	39078	40707.46	8400	45793	37018.41
ओडिशा	420	1004	1033.91	420	3102	3117.33	420	2916	2798.93	420	2948	2855.9
पंजाब	2620	3262	3342.84	2620	13800	8015.55	2620	18178	11671.82	2620	19305	16306.28
राजस्थान	4940	8013	8646.54	4940	30393	24198.1	4340	23318	24893.42	3490	23146	22064.39
तमिलनाडु	4770	8979	8735.57	4770	30402	28376.23	4770	27469	27378.22	4770	20383	23785.89
तेलंगाना	3482.5	5283	5980.24	3482.5	16601	15102.14	2282.5	15157	16059.87	2282.5	16267	14904.46
उत्तर प्रदेश	5923	10578	10612.75	5923	30650	27218.65	4923	28801	25098.49	4923	26109	25885.49
पश्चिम बंगाल	5720	7613	9130.09	5720	25900	21939.17	5220	23660	25261.11	5220	27443	22466.86
तिग्नाइट												
गुजरात	790	1090	1187.36	540	3769	3048.8	540	3215	2991.4	540	3150	2795.01
राजस्थान	250	149	0	250	400	275.15	250	400	357.24	250	500	378.2
प्राकृतिक गैस												
असम	276.2	437	410.87	276.2	1417	1455.49	276.2	1243	1526.91	276.2	1270	1422.88
दिल्ली	2100.4	1555	1510.6	2100.4	5400	3918.06	2100.4	4000	5018.08	2100.4	4257	4111.08
गुजरात	2321.82	76	295.09	2321.82	381	1946.69	2321.82	560	501.29	1945.72	2476	491.31
महाराष्ट्र	672	834	1081.51	672	3525	2886.5	672	3400	3567.16	672	2000	3271.88
पुडुच्चेरी	32.5	80	82.55	32.5	200	227.59	32.5	242	102.14	32.5	230	256.97
राजस्थान	603.8	611	645.83	603.8	1900	1892.89	603.8	1050	2097.26	553.8	1600	1804.51
तमिलनाडु	394.08	582	498.88	394.08	1963	1684.36	393.2	2100	1980.03	393.2	1000	2394.8
त्रिपुरा	169.5	232	226.58	169.5	746	739.22	169.5	796	726.46	169.5	750	728.25
हाई स्पीड डीजल												
जम्मू एवं कश्मीर	175	0	0	175	0	0	175	0	0	175	0	0
पश्चिम बंगाल	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0
नाफ्था												
तमिलनाडु	120	0	5.79	120	0	8.72	120	0	2.85	120	0	0.85
बहु ईंधन												
असम	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0
डीजल												
अंडमान एवं निकोबार	40.05	50	61.56	40.05	150	182.85	40.05	150	153.76	40.05	100	171.49
कर्नाटक	127.92	0	0	127.92	0	0	127.92	0	0	127.92	37	24.41
केरल	159.96	18	40.98	234.6	521	146.84	234.6	180	207.69	234.6	400	220.88
मणिपुर	36	0	0	36	0	0	36	0	0	36	0	0
राज्य (कुल)	97195.43	121870	115198.39	97006.07	401825	344995.42	90055.19	367798	366803.02	85319.09	374470	350402.7

निजी													
जल विद्युत													
हिमाचल प्रदेश	1748	3612	3796.62	1748	7587	7739.99	1748	7318	6985.46	1748	7389	7578.37	
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	0	
महाराष्ट्र	481	513	391.08	481	1486	1181.04	481	1485	1506.9	481	1515	1687.72	
सिक्किम	195	397	352.8	195	607	496.49	99	748	430.86	99	537	291.42	
उत्तराखण्ड	730	1443	1463.16	730	2890	2112.02	400	1776	1815.94	400	1817	437.9	
कोयला													
आंध्र प्रदेश	3260	5430	5247.61	3260	9130	13175.68	1560	4386	4761.77	750	3265	3674.63	
छत्तीसगढ़	10598	10842	12681.1	10598	26107	27644.38	8353	19449	18785.05	5048	13698	14563.21	
गुजरात	10242	21484	20434.9	10242	68244	66099.82	10220	64430	66493.72	10220	50835	61804.83	
हरियाणा	1320	1806	819.19	1320	7000	4952.22	1320	7000	6537.48	1320	8291	6207.51	
झारखण्ड	1950	4179	4537.59	1950	11624	12651.67	1950	12310	11434.2	1950	10869	11250.5	
कर्नाटक	2060	4376	4087.5	2060	13500	14842.67	2060	14942	13754.38	2060	13163	13945.38	
मध्य प्रदेश	8225	14483	15230.99	8225	27527	40952.93	6425	11357	22264.77	3125	3481	5428.33	
महाराष्ट्र	10996	18596	15080.27	10996	53600	54171.66	10996	38496	44017.41	9226	33953	34668.22	
ओडिशा	5000	6939	7313.48	5000	17540	21496.85	4650	11099	14131.49	3450	9064	10218.34	
पंजाब	3920	3968	5423.95	3920	13000	10999.5	2060	4732	7250.01	700	292	511.69	
राजस्थान	1320	2693	3292.67	1320	9758	8684.82	1320	8000	7866.36	1320	0	3713.53	
तमिलनाडु	2700	1709	2719.61	2100	2968	4720.54	900	1093	2520.86	300	0	616.77	
उत्तर प्रदेश	5490	6635	8100.58	4830	21401	17719.99	2850	18505	19624.94	2850	17250	17587.87	
पश्चिम बंगाल	1755	3795	3944.32	1915	9761	10621.69	1915	8978	8952.17	1315	9059	8929.72	
विगनाइट													
गुजरात	500	1151	1192.25	500	3548	3077.99	500	3600	3266.61	500	3417	3018.02	
राजस्थान	1080	2504	2139.19	1080	7325	7215.82	1080	5000	7351.81	1080	5249	4194.32	
तमिलनाडु	250	618	425.98	250	1700	1476.81	250	1861	1828.12	250	1866	1865.26	
प्राकृतिक गैस													
आंध्र प्रदेश	4880.4	907	1943.85	4880.4	2335	5535.51	3370.4	4421	2561.07	3370.4	3856	5244.06	
दिल्ली	108	0	0	108	0	0	108	0	0	108	175	0.22	
गुजरात	4060	1153	2364.57	4060	3010	8435.39	4160	1400	3119.95	3760	1925	2948.82	
महाराष्ट्र	180	284	435.42	180	1110	1179.74	180	1250	1148.5	180	1291	1274.78	
तमिलनाडु	503.1	196	455.79	503.1	964	978.7	503.1	1850	2128.98	503.1	1750	2538.22	
नाफ्था													
गोवा	48	0	0	48	0	0	48	254	12.61	48	254	241.32	
केरल	174	0	0	174	50	0	174	50	154.71	174	25	352.21	
डीजल													
आंध्र प्रदेश	36.8	0	0	36.8	0	0	36.8	0	0	36.8	0	0	
कर्नाटक	106.5	0	0	106.5	0	0	106.5	0	0	106.5	0	0	
तमिलनाडु	411.7	14	10.98	411.7	300	76.23	411.7	1195	1045.97	411.7	1450	1451.39	
निजी (कुल)	84328.5	119727	123885.45	83228.5	324072	348240.15	70235.5	256985	281752.1	56890.5	206151	226244.56	
आयात													
जल विद्युत													
भूटान (आईएमपी)		1662	1984.16		4800	5244.21		4800	5007.74	0	4800	5597.9	
		1662	1984.16		4800	5244.21		4800	5007.74	0	4800	5597.9	
सकल योग	260726.98	389271	391163.27	259415.62	1137500	1107822.28	235696.14	1023000	1048672.96	213169.16	975000	967150.34	

* वास्तविक-सह-मूल्यांकन के आधार पर अनंतिम

टिप्पणी: केवल 25 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता वाले केंद्रों से पारंपरिक स्रोतों (ताप विद्युत, जल विद्युत एवं नाभिकीय विद्युत) से उत्पादन
